हिंदी

मूल्य 5 रुपये

ट्रेड यूनियन रिकार्ड

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पाक्षिक मुखपत्र

वर्ष 32 अंक 5 | पृष्ठ सं. 24 | 1–15 मार्च, 2026

नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर मजदूर–किसान संसद आयोजित

23 मार्च साम्राज्यवाद विरोधी दिवस और 1 अप्रैल राष्ट्रीय काला दिवस मनाने का आह्वान

मजदूर किसान संसद ने केंद्र सरकार से कॉर्पोरेट समर्थक, अमेरिकी परस्त नीतियों के विरूद्ध एवं मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में 23 मार्च 2026 शहीद दिवस को साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाने और सरकार द्वारा श्रम कानूनों को समाप्त कर लाये गये चार श्रम संहिता के कार्यान्वयन की घोषणा के विरोध में 1 अप्रैल 2026 को अखिल भारतीय काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है।

इसके साथ ही सभी राज्यों में महापंचायतों का आयोजन कर कॉरपोरेट विरोधी जन संघर्षों की घोषणा करने का आह्वान किया है। मजदूर–किसान संसद में जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके राज्यों की कराधान शक्तियों को बहाल करने, राज्यों को विभाज्य पूल (उपार्जन और अधिभार सहित) के वर्तमान 33% के बजाय 60% हिस्सा प्रदान करने की भी जोरदार मांग के साथ एक घोषणापत्र स्वीकृत किया है।

जंतर–मंतर पर 9 मार्च 2026 को आयोजित मजदूर किसान संसद ने केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक, अमेरिका समर्थक नीतियों को थोपने के आक्रामक, अधिनायकवादी कृत्यों को छोड़ने की चेतावनी दी है और कहा है कि कृषि एवं किसान हित में कानूनों में संशोधन किया जाए अन्यथा किसानों और मजदूरों की सभी महत्वपूर्ण मांगों की पूर्ति और सभी राष्ट्रविरोधी और जनविरोधी नीतियों को पलटने तक निरंतर, अखिल भारतीय, एकजुट संघर्षों का सामना करने को तैयार रहें। संसद ने किसानों और मजदूरों से व्यापक एकजुट संघर्षों के लिए कमर कसने का आह्वान किया और जनता के सभी श्रमिक और लोकतांत्रिक वर्गों से आंदोलनों के समन्वित समर्थन की अपील की।

व्यापक निरंतर संघर्षों की तैयारी के तहत, किसान और मजदूर '23 मार्च

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

जंतर–मंतर पर मजदूर–किसान संसद के मंच पर मजदूर किसान संगठनों के नेताओं की एकजुटता का दृश्य

पिछले पृष्ठ का शेष: **नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर मजदूर–किसान.....**

2026, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को मुक्त व्यापार समझौते के विरोध में साम्राज्यवाद–विरोधी दिवस के रूप में मनाएंगे। '1 अप्रैल 2026 को सरकार द्वारा सभी श्रम कानूनों को समाप्त कर थोपे जा रहे चार श्रम संहिता के कार्यान्वयन के विरोध में अखिल भारतीय काला दिवस के रूप में मनाएंगे और 'सभी राज्यों में महापंचायतों का आयोजन करके कॉर्पोरेट–विरोधी जन संघर्षों को तेज करेंगे।

मजदूर किसान संसद के मंच पर खड़े नेतृत्वकारी लोगों का विहंगम दृश्य

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों/स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों/संगठनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) द्वारा संसद के बजट सत्र के समानांतर आयोजित मजदूर–किसान संसद ने 12 फरवरी, 2026 को हुई शानदार अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए मेहनतकश लोगों को बधाई दी और इसे केंद्र सरकार की मजदूर–विरोधी और किसान–विरोधी नीतियों के खिलाफ एक कड़ा संदेश बताया।

सभी वक्ताओं ने असमान और शोषणकारी भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे को स्वीकार करने और कॉरपोरेट हितों के पूर्ति हेतु उनके साथ मिलकर काम करते हुए कई मजदूर–विरोधी और किसान–विरोधी उपायों को लागू करने में अमेरिका के दबाव के आगे केंद्र सरकार के शर्मनाक आत्मसमर्पण की कड़ी निंदा की।

घोषणा में कहा गया कि अमेरिकी शासन विश्व के मेहनतकश लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है और विश्व शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थागत तंत्रों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें भारत सरकार से व्यापार पर अमेरिका के दबाव के आगे झुकना बंद करने की जोरदार अपील की गई और विश्व शांति के हित में ईरान पर आक्रमण कर युद्ध थोपने की निंदा करते हुए उसे तत्काल समाप्त करने की मांग की गई। केंद्र सरकार को खाड़ी देशों में भारतीय कार्यबल की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और खाड़ी देशों को होने वाले सभी कृषि निर्यातों के लिए विशेष मुआवजा देना होगा, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य मिल सके।

मजदूर किसान संसद ने केंद्र सरकार की इस बात के लिए कड़ी निंदा की कि उसने 9 दिसंबर, 2021 को किसान संघ को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू नहीं किया। ये आश्वासन 736 किसान शहीदों के ऐतिहासिक जन संघर्ष के संदर्भ में दिए गए थे। घोषणापत्र में संसद में ऐसे कानून बनाने की मांग की गई है जो सभी फसलों की खरीद एमएसपी (सी2+50%) पर सुनिश्चित करें, उत्पादक सहकारी समितियों के तहत कृषि का आधुनिकीकरण करें, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के तहत कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना करें, कृषि पर कॉरपोरेट अधिग्रहण को समाप्त करें और मूल्यवर्धन से प्राप्त अधिशेष को प्राथमिक उत्पादकों के साथ साझा करें।

भारत सरकार सबसे प्रतिगामी चार श्रम संहिताओं को लागू करने का निर्णय लिया है, जो श्रमिकों के सभी अधिकारों को छिनती है, जिनमें संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार और 8 घंटे के कार्यदिवस का अधिकार आदि प्रायः समाप्त हो जायेंगे आदि शामिल हैं, जिसके विरूद्ध श्रमिक वर्ग निरंतर एकजुट संघर्ष जारी रखेगा।

मजदूर–किसान संसद ने राज्यों को वित्तीय संसाधनों से वंचित करने और सत्ता के केंद्रीकरण के लिए केंद्र सरकार की निंदा की और जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करके राज्यों की कराधान शक्तियों को बहाल करने तथा विभाज्य कोष (उपार्जन और अधिभार सहित) में राज्यों को वर्तमान 33% के बजाय 60% हिस्सा प्रदान करने की मांग की।

मजदूर किसान संसद की अध्यक्षता एक अध्यक्षमंडली ने की जिसमें शाहनाज रफीक–इंटक, मुकेश कश्यप–एआईटीयूसी, नारायण सिंह–एचएमएस, ए.आर.सिंधु–सीटू, आर.के. शर्मा–एआईयूटीयूसी, लता–सेवा, राघव सिंह–एआईसीसीटीयू, गजराज सिंह–यूटीयूसी शामिल थे जो सीटीयू का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों में पी कृष्णप्रसाद – एआईकेएस, राजन क्षीरसागर–एआईकेएस (एबी), युद्धवीर सिंह–बीकेयू, हंसराज राणा–एआईकेकेएमएस, धर्मपाल सिंह–एआईकेकेएमएस, सतीश आजाद–केकेयू, प्रेम सिंह गहलावत–एआईकेएम, जोगिंदर सिंह नैन, एनकेयू नैन और सुनील तराई–किसान समिति शामिल थे।

संयुक्त किसान मोर्चा के वक्ताओं में अशोक धावले–एआईकेएस, रेवुला वेंकैया–एआईकेएस, एबी, युद्धवीर सिंह–बीकेयू, टिकैत, सत्यवान–एआईकेकेएमएस, आशीष मित्तल–एआईकेकेएमएस, शशिकांत–केकेयू, डॉ. सुनीलम–केएसएस, पुरूषोत्तम शर्मा–एआईकेएम, जोगिंदर नैन बीकेयू नैन, मनीष भारत–जेकेए और करनैल सिंह इकोलाहा–एआईसीकेएस और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से अशोक सिंह–इंटक, अमरजीत कौर–एआईटीयूसी, एस.डी. त्यागी–एचएमएस, सुदीप दत्ता–सीटू, राजेंद्र सिंह–एआईयूटीयूसी, लता–सेवा, राजीव डिमरी–एआईसीसीटीयू और शत्रुजीत–यूटीयूसी शामिल थे।

9 मार्च 2026 को नई दिल्ली जंतर मंतर पर आयोजित मजदूर–किसान संसद द्वारा स्वीकृत घोषणापत्र का मूल पाठ

केंद्रीय श्रमिक संगठनों/स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों /संघों के संयुक्त संघ तथा संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 मार्च 2006 को जंतर मंतर, नई दिल्ली पर आयोजित मजदूर किसान संसद भारत के मजदूरों, किसानों, खेत–मजदूरों तथा अन्य मेहनतकश वर्गों को 12 फरवरी 2008 को हुए भव्य अखिल भारतीय आम हड़ताल के लिए बधाई देती है, जिसने कॉर्पोरेट साम्प्रदायिक गठजोड़ वाली केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को एक कड़ी चेतावनी दी।

देश की राजधानी में संसद सत्र के समानांतर आयोजित यह मजदूर किसान संसद, मजदूर किसान समर्थक तथा जन–हितैषी नीतियों के

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

पिछले पृष्ठ का शेष: **नई दिल्ली के जंतर–मंतर.....**

लिए हमारे संयुक्त और समन्धित संघर्षों के क्रम में आयोजित की गई है। यह संसद, अमेरिका के दबाव में असमान और शोषणकारी भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे को स्वीकार करने तथा कॉर्पोरेट हितों के साथ मिलकर मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों को लागू करने के लिए, केंद्र सरकार की कड़ी निंदा करती है।

मजदूर किसान संसद को संबोधित कार्यकर्ता एटक महासचिव अमरजीत कौर

हम, अमेरिका द्वारा अपनी भारी कर्जदारी को कम करने, व्यापार घाटे को घटाने और पेट्रो–डॉलर आधारित वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखने के लिए विकासशील देशों पर

मजदूर–किसान संसद में शामिल मजदूर–किसान

एकतरफा व्यापारिक शुल्क और शोषणकारी व्यापार शर्तें थोपे जाने का, गहरी चिंता के साथ संज्ञान लेते हैं। साम्राज्यवादी शक्तियाँ अपने तंत्रगत संकट को संभालने के लिए युद्ध अर्थव्यवस्था का सहारा ले रही है, और शासन परिवर्तन थोप कर संप्रभु देशों के नेतृत्व को अपने अधीन कर रही है। ईरान इसका ताजा उदाहरण है।

यह संसद अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा करती है जिसमें संप्रभु ईरान के प्रमुख आयतुल्ला खुमैनी तथा 183 बच्चों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या हुई जिसका उद्देश्य पूरे मध्य–पूर्व को युद्ध की स्थिति में धकेलना और पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डालना है। 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं। इन देशों से इस अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत का आयात करते हैं और हर वर्ष 60 लाख टन बासमती चावल, भैंस का मांस, समुद्री उत्पाद, चीनी, ताजी सब्जियों और फल का निर्यात करते हैं।

अमेरिकी सरकार विश्व के मेहनतकश लोगों की सबसे बढ़ी दुश्मन और विश्य शांति के अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत ढांचे के लिए सबसे बढ़ा खतरा बनकर उभरी है। हम भारत सरकार द्वारा अपनी ऐतिहासिक रूप से विकसित साम्राज्यवाद विरोधी विदेश नीति को छोड़कर अमेरिका और इजराइल के साथ गठबंधन करने तथा 15,000 निर्दोष फिलिस्तीनियों के नरसंहार के प्रति असंवेदनशील रहने की कड़ी निंदा करते हैं।

यह संसद भारत सरकार से मांग करती है कि यह युद्ध को तुरंत समाप्त कराने की पहल करे और विश्व शांति सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उनके वेतन और मुआवजे की गारंटी देनी चाहिए तथा कृषि निर्यात के लिए विशेष मुआवजा देकर किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

यह संसद मांग करती है कि भारत सरकार भारत–अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अस्वीकार करे, जो अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त अमेरिकी कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के आयात की अनुमति देता है, भारत को लाख करोड़ रुपये के अमेरिकी सामान खरीदने के लिए बाध्य करता है जिससे भारत का व्यापार अधिशेष समाप्त हो जाएगा, रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने पर रोक लगाता है और अर्थव्यवस्था के बड़े क्षेत्रों को अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खोल देता है। इससे हमारे किसान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, उद्योग के कई क्षेत्र खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता प्रभावित होंगे।

यह संसद केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2021 को ऐतिहासिक किसान आंदोलन, जिसमें 738 शहीदों ने अपना बलिदान दिया, के संदर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए लिखित आश्वासनों को लागू न करने की कड़ी निंदा करती है। यह संसद मांग करती है कि भारतीय संसद में कानून बनाकर सभी फसलों की खरीद सी2+50% की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर सुनिश्चित की जाए, उत्पादक सहकारिताओं के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण किया जाए, सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में कृषि–आधारित उद्योग स्थापित किए जाएं ताकि कृषि पर कॉर्पोरेट कब्जे को रोका जा सके और मूल्य संवर्धन से होने वाले लाभ को प्राथमिक उत्पादकों के साथ साझा किया जा सके।

हम मांग करते हैं कि ग्रामीण परिवारों को कर्ज से मुक्त करने और किसानों की आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए व्यापक कर्ज माफी लागू की जाए तथा भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुर्नस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 का कड़ाई से पालन किया जाए।

24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय संयुक्त मजदूर किसान कन्वेंशन द्वारा पारित मांगों को दोहराते हुए हम मांग करते हैं कि रेलवे, बंदरगाह और डॉक, कोयला और गैर–कोयला खदानें, तेल, इस्पात, रक्षा, सड़क परिवहन, हवाई अड्डे, बैंक, बीमा, दूरसंचार, डाक, परमाणु ऊर्जा और बिजली उत्पादन एवं वितरण सहित सार्वजनिक क्षेत्र और सेवाओं के निजीकरण की अंधी दौड़ को समाप्त किया जाए तथा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 सहित सभी संबंधित नीतियों और विधेयकों को वापस लिया जाए।

यह संसद विद्युत (संशोधन) विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग करती है, क्योंकि इससे कृषि, घरेलू और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उपभोक्ताओं तथा सार्वजनिक बिजली क्षेत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर वापस लिए जाएं और सभी उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की जाए।

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

राजस्थान सड़क यातायात कर्मचारियों का शोषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

जयपुर सोमवार को राजस्थान राज्य सड़क यातायात कर्मचारी संघ '(एआईटीयूसी) के आह्वान पर, राज्य भर के सड़क यातायात कर्मचारियों ने अपनी ज्वलंत मांगों और विभाग के भीतर कथित उत्पीड़न के विरोध में दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। राजधानी जयपुर सहित राज्य भर की सभी केंद्रीय कार्यशालाओं और डिपो इकाइयों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन मंगलवार को भी जारी रहेगा।

संघ की विभिन्न शाखाओं ने अपने मुख्य प्रबंधकों के माध्यम से सड़क यातायात प्रबंध निदेशक को आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन भेजा है। जयपुर में

संयुक्त हड़ताल को संबोधित करते हुए, राज्य अध्यक्ष एम.एल. यादव, महासचिव धर्मवीर चौधरी, उपमहासचिव संजय चौधरी और अन्य श्रमिक नेताओं ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के अपने संकल्प को दोहराया।

एम.एल. यादव ने कहा कि आंदोलन की मुख्य मांगों में से एक यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए 2,500 नई बसों की खरीद और 12,000 से अधिक रिक्त पदों के लिए तत्काल भर्ती शुरू करना है। इसके अतिरिक्त, कारीगर ग्रेड–I का मूल वेतन 2,400 रुपये से बढ़ाकर 2,800 रुपये किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, नियमों का उल्लंघन करते हुए ड्राइवरों और कंडक्टरों पर लगाए जा रहे 12 से 15 घंटे के अतिरिक्त कार्य को बंद किया जाना चाहिए और 'क्रू चेंज' प्रणाली लागू की जानी चाहिए। पिछले तीन महीनों से रोके गए वेतन का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। साथ ही, 1965 के स्थायी आदेशों के अंतर्गत आने वाली महिला कर्मचारियों को भी बाल देखभाल अवकाश दिया जाना चाहिए।

विरोध प्रदर्शन के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए। यूनियन ने जून 2025 से जनवरी 2026 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को तत्काल लाभ का भुगतान करने और 70 से 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त भत्ते की मांग की।

पिछले पृष्ठ का शेष: **नई दिल्ली के जंतर–मंतर.....**

यह संसद नया बीज विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग करती है जो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के हित में है, ग्रामीण रोजगार–विरोधी बीबी–ग्रामजी को वापस लिया जाए। मनरेगा को बहाल किया जाए जिसमें 200 दिन का काम और 500 दैनिक मजदूरी सुनिश्चित हो, पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए और एनपीएस/यूपीएस को समाप्त किया जाए।

यह संसद मांग करती है कि जनता के जीवन और आजीविका के लिए हानिकारक तथा देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को खतरे में डालने वाले सभी हालिया नीतिगत निर्णयों और कानूनों को रद्द किया जाए जैसे शांति अधिनियम जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में विदेशी निजी कंपनियों को बिना दायित्व के अनुमति देती है। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश, मनुस्मृति आधारित श्रम शक्ति नीति 2025 पेंशन वैलिडेशन अधिनियम 2025 आदि।

मजदूर किसान संसद पूरे मेहनतकश वर्ग से आहवान करती है कि यदि सरकार श्रमिकों के सभी अधिकारों जैसे संगठन की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, हड़ताल का अधिकार और 8 घंटे कार्य दिवस को समाप्त करने वाले चार श्रम संहिताओं को लागू करने की कोशिश करती है तो देशभर में संयुक्त संघर्ष तेज किए जाएं।

हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत चारों श्रम संहिताओं को वापस ले पुराने श्रम कानून और श्रम कानून प्रवर्तन व्यवस्था बहाल करेः कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार घोषित करें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रमुख सम्मेलनों (सी–87, सी–98, सी–190, सी–189 सी–155, सी–187) का अनुमोदन करें, 2015 के बाद से बंद पड़ी भारतीय श्रम सम्मेलन को बुलाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों और सेवाओं के निजीकरण को रोके, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा समाप्त करे; नियत अवधि रोजगार कानून वापस ले; सभी श्रमिकों के लिए 28,000 न्यूनतम वेतन लागू करे और सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र में खाली पड़े 65 लाख पदों पर बहाली करें।

यह संसद भारत सरकार द्वारा देश की संघीय संरचना को कमजोर करने और राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण का संज्ञान लेती है। हम मांग करते हैं कि जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन कर राज्यों की कराधान शक्तियां बहाल की जाएं और विभाज्य कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 33% से बढ़ाकर 60% की जाए।

हम सरकार से मांग करते हैं कि अति–धनी व्यक्तियों पर कर लगाया जाए और रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और आवास को सभी नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया जाए ताकि असमानता और धन के केंद्रीकरण को समाप्त किया जा सके।

यह संसद मांग करती है कि साम्प्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति फैलाने वाली शक्तियों को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाए। हम मेहनतकश जनता से अपील करते है कि साम्प्रदायिक ताकतों को अलग–थलग करें और देश की धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखें।

यह संसद भारत के लोगों से आहवान करती है कि 23 मार्च 2016 शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस को साम्राज्यवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाए।

1 अप्रैल 2026 को श्रम संहिताओं की वापसी और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी काला दिक्स मनाया जाए।

देश के सभी राज्यों में महापंचायतें आयोजित की जाएं ताकि इन मांगों के समर्थन में किसान–मजदूरों को संगठित किया जा सके।

यह संसद किसानों और मजदूरों से आहवान करती है कि यदि सरकार हठधर्मी और निरंकुश रवैया जारी रखती है तो वे पूरे देश में लंबे और संयुक्त संघर्षों के लिए तैयार रहे जब तक कि सभी मांगे पूरी न हो और सरकार अपनी जन–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों को वापस लेने के लिए बाध्य न हो जाए।

यह मजदूर किसान संसद देश के सभी मेहनतकश और लोकतांत्रिक वर्गों से इन आंदोलनों के समर्थन में समन्वित सहयोग की अपील करती है।

सेल के गुवा में एमडीओ प्रणाली के खिलाफ मजदूरों का बिगुल, विशाल बैठक में 13 मार्च को रैली का ऐलान

मजदूर संगठनों और ग्रामीणों ने कहा – एमडीओ लागू हुआ तो रोजगार और मजदूर अधिकारों पर पड़ेगा खतरा

सेल के गुवा स्थित खदान क्षेत्र में प्रस्तावित एमडीओ (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) प्रणाली के विरोध में मजदूरों और ग्रामीणों का आक्रोश तेज होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार संध्या लगभग 5 बजे गुवा रामनगर स्थित एसबीआई बैंक के पीछे वर्कर्स कम्युनिटी हॉल में मजदूरों और ग्रामीणों की एक विशाल बैठक आयोजित की गई।

एमडीओ के खिलाफ बैठक में उपस्थित मजदूर एवं ग्रामीण

बैठक में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इंटक), स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में मौजूद मजदूरों और ग्रामीणों ने एकजुट होकर गुवा सेल में एमडीओ प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध करने का संकल्प लिया।

एमडीओ के खिलाफ मजदूरों की एकजुटता: बैठक की अध्यक्षता करते हुए झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने कहा कि सेल प्रबंधन गुवा में एमडीओ प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन मजदूर संगठन और स्थानीय ग्रामीण इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सभी मजदूर और ग्रामीण एकजुट होकर संघर्ष करें तो गुवा में एमडीओ प्रणाली को लागू होने से रोका जा सकता है। उन्होंने मजदूरों से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित रहने की अपील की।

मजदूर सुविधाओं में कटौती का आरोप: बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सेल प्रबंधन धीरे–धीरे मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती कर रहा है। उदाहरण देते हुए कहा गया कि कोलकाता स्थित रुबी अस्पताल के गेस्ट हाउस को बंद कर दिया गया है, जिससे इलाज के लिए जाने वाले मजदूरों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मजदूर नेताओं का कहना था कि यह मजदूरों की सुविधाओं को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है।

बड़ी कंपनियों को काम सौंपने की तैयारी: बैठक में वक्ताओं ने यह भी कहा कि गुवा सेल में एमडीओ प्रणाली लागू करने की तैयारी के तहत बाहर की बड़ी कंपनियों को काम सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

मजदूर नेताओं के अनुसार केसीसी, एलएंडटी और मां सरला कंपनी जैसी कंपनियों को कार्य देने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि एमडीओ प्रणाली लागू होती है तो यहां वर्षों से काम कर रहे सप्लाई मजदूरों की स्थिति प्रभावित होगी और उनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है।

8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम का डर: बैठक में यह भी कहा गया कि एमडीओ प्रणाली लागू होने के बाद मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक काम लिया जा सकता है। मजदूर नेताओं ने कहा कि इससे मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा और श्रम कानूनों का उल्लंघन भी हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की व्यवस्था लागू की गई तो मजदूरों और ग्रामीणों द्वारा जोरदार आंदोलन किया जाएगा।

13 मार्च (शुक्रवार) को गुवा सेल के जनरल ऑफिस के सामने रैली: बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एमडीओ प्रणाली के विरोध में 13 मार्च शुक्रवार को गुवा सेल के जनरल ऑफिस के समक्ष एक विशाल रैली और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मजदूर नेताओं ने सभी मजदूरों और ग्रामीणों से बड़ी संख्या में रैली में शामिल होने की अपील की, ताकि सेल प्रबंधन तक उनका संदेश मजबूती से पहुंच सके।

बैठक में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे, अंतर्यामी महाकुड़, संजु गोच्छाईत, जिला परिषद सदस्य देवकी कुमारी, बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन (इंटक) के विश्वजीत तांती, चंद्रिका खंडायत, जानों चातर, नूतन सुंडी, प्रशांत चाम्पिया, सुशील पूर्ति और किशोर सिंह सहित बड़ी संख्या में मजदूर और ग्रामीण उपस्थित थे। बैठक के अंत में सभी ने एक स्वर में कहा कि गुवा सेल में मजदूरों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

सेल का गुआ माइन्स का राजाबुरु खदान ठप्प, लगातार आंदोलन जारी:

शैलेश सिंह

महारत्ना कंपनी सेल की गुवा की रांजाबुरु खदान में अनिश्चितकालीन बंदी का आंदोलन आज पांचवें दिन भी जारी है। इस आंदोलन में सारंडा के 18 गांवों के ग्रामीण बेरोजगार रोजगार और विकास की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आंदोलन सारंडा विकास समिति के बैनर तले 23 फरवरी की सुबह से शुरू हुआ था, जो अब लगातार तेज होता जा रहा है।

आंदोलन के कारण खदान की सभी गतिविधियां पूरी तरह ठप्प हैं। भारी मशीनें जहां की तहाँ खड़ी हैं और उत्पादन कार्य पूरी तरह बंद हो चुका है। ग्रामीण आंदोलन स्थल पर दिन–रात डटे हुए हैं और अपनी मांगों पर अडिग हैं।

पारंपरिक हथियारों के साथ जुटे एवं नारेबाजी करते ग्रामीण

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

5 मार्च 2026 को हाइब्रिड मोड में हुई केन्द्रीय श्रम संगठनों की बैठक की कार्यवाही

5 मार्च 2026 को इंटक मुख्यालय, नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय श्रम संगठनों की मीटिंग की अध्यक्षता इंटक के वाइस प्रेसिडेंट अशोक सिंह ने की और इसमें इंटक से पीजे राजू, शहनाज़ और राजिंदर सिंह, एटक से अमरजीत कौर और विद्यासागर गिरि, एचएमएस से हरभजन सिंह सिद्धू, सीटू से तपन सेन, सुदीप दत्ता, ए.आर.सिंधु और स्वदेश देव रॉय, एआइयूटीयूसी से आर.के. शर्मा, हरीश त्यागी और सतीश सी पंवार, सेवा से सोनिया जॉर्ज, एआइसीसीटीयू से राजीव डिमरी और यूटीयूसी से शत्रुजीत शामिल हुए।

9 मार्च को जंतर–मंतर पर सुबह 10 बजे से होने वाली मज़दूर–किसान संसद में केंद्रीय श्रम संगठनों के शामिल होने पर चर्चा हुई। यह तय हुआ कि इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू 75–75 लोग, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ और यूटीयूसी से 50–50 लोग हिस्सा लेंगे। सीटीयू की टेक्निकल कमेटी, एसकेएम की टेक्निकल कमेटी के साथ मिलकर काम करने के तरीकों को फाइनल करेगी। यह भी तय हुआ कि बहुत सारे प्रस्ताव रखने के बजाय, हमें एक घोषणापत्र तैयार करनी चाहिए जिसमें सीटीयू और एसकेएम के सभी ज़रूरी मुद्दे हों, जैसा कि हमने हाल की हड़ताल सहित पहले के आंदोलनों में बताया था।

10 मार्च को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर हमला कर युद्ध थोपने के विरोध में पूरे देश में होने वाले कार्रवाई पर चर्चा हुई। यह तय हुआ कि हम सीटीयूज़ की तरफ से अपनी राज्य यूनिट्स/यूनियनों को एक सर्कुलर भेजकर उस दिन को काम की जगहों पर अलग–अलग तरीकों से विरोध के तौर पर मनाने और जहाँ भी हो सके, उस दिन एसकेएम के प्रोग्राम के साथ मिलकर काम करने के तरीकों में शामिल होने के लिए कहें। आगे की कार्रवाई पर डिटेल में हुई चर्चा में, यह सबकी सहमति बनी कि आने वाले दिनों में हमारे कैंपेन का फोकस हमारी दूसरी मांगों के अलावा चार लेबर कोड पर होना चाहिए।

23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है, जिसे अपनिवेश विरोधी दिवस (एंटी–कॉलोनियल डे) के तौर पर मनाया जाना चाहिए। इस दिन मज़दूरों की मांगों पर फोकस किया जाना चाहिए, खासकर लेबर कोड को निरस्त करने की मांग की जानी चाहिए और याद किया जाना चाहिए कि भगत सिंह ने दूसरे कानूनों के अलावा ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध किया था और असेम्बली में बम फेंका था। क्रांतिकारियों और मज़दूर वर्ग का रोल हमारे देश को विदेशी कॉलोनियल शासन से आज़ाद कराना था ताकि भारत की आज़ादी हो सके। आज आज़ादी और सॉवरेनिटी ही खतरे में है, इसलिए इस दिन को मनाना ज़रूरी है।

1 अप्रैल की तारीख लेबर मिनिस्ट्री ने लेबर कोड लागू करने के लिए बार–बार अनाउंस की है, इसलिए इस दिन को यूनियनों द्वारा अलग–अलग तरह के डीसेंट्रलाइज्ड एक्शन के साथ ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाना चाहिए। सीटीयूज़ की स्टेट यूनिट्स को एक साथ बैठना चाहिए और एक्शन की प्लानिंग करनी चाहिए।

मई दिवस 2026 भी इसी फोकस के साथ और ज्यादा ज़ोरदार तरीके से और शायद ज्यादा एकजुट होकर मनाया जाना चाहिए। जिस दिन पार्लियामेंट में बिजली बिल पेश किया जाएगा, उसके अगले दिन प्रोटेस्ट का दिन होना चाहिए, जैसा कि पहले भी तय किया गया है। आने वाले दिनों में लेबर कोड से मज़दूर वर्ग को जो नुकसान होगा, उसे नीचे और समझाने का कैंपेन और तेज़ किया जाना चाहिए। मज़दूरों और उनकी यूनियनों को राज्यों में लेबर कोड लागू न करने की मांग करनी होगी, बल्कि राज्य सरकारों/विधानसभाओं से कोड और नियमों में बदलाव की मांग करनी होगी। साथ ही, हमें लेबर कोड को लागू करने का विरोध करने के तरीके पर समझ बनाने के लिए सेक्टर लेवल पर नेशनल संयुक्त मीटिंग करने पर भी विचार करना चाहिए।

सीटीयूज़ अप्रैल के बीच में फिर से मिलेंगी और सीटीयूज़ और एसकेएम की जॉइंट फिजिकल मीटिंग मई में होगी ताकि कुछ जॉइंट एक्शन और बड़े मोबिलाइज़ेशन की योजना बनाई जा सके।

पिछले पृष्ठ का शेष: सेल का गुआ माइन्स का राजाबुरु खदान ठप्प

आंदोलनकारियों का कहना है कि यह केवल रोजगार की लड़ाई नहीं, बल्कि आदिवासियों के अधिकार और भविष्य की लड़ाई है। उनका साफ संदेश है।

"आज अगर आदिवासी चुप रहे, तो कल उनके जंगल, जमीन और रोजगार सब छीन लिए जाएंगे।"

ग्रामीणों का आरोप है कि नई खदान शुरू होने के बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जबकि बाहर से लोगों को काम पर रखा जा रहा है। इससे गांवों में बेरोजगारी और असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नई राजाबुरु खदान में प्रभावित गांवों के 75 प्रतिशत बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना है। इसके साथ ही आंदोलनकारी निम्न मांगें भी उठा रहे हैं। ★ ट्रांसपोर्टिंग और ड्राइविंग कार्यों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले, ★ ठेका कार्यों में गांव के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, ★स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास ★ सीएसआर के तहत गांवों में ठोस विकास कार्य।

ग्रामीणों का कहना है कि खदान से सबसे अधिक प्रभावित वही लोग हैं, लेकिन उन्हें ही विकास से वंचित रखा जा रहा है। यह आंदोलन सारंडा पीढ़ के मानकी लागुड़ा देवगम और गंगदा पंचायत के मुखिया राजू शांडिल के नेतृत्व में चल रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि जब तक प्रबंधन ठोस आश्वासन नहीं देता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह संघर्ष लंबा चल सकता है, क्योंकि अब ग्रामीण पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। आंदोलन को अब सामाजिक और आदिवासी संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है।

मानकी–मुंडा संघ, आदिवासी **'होे'** समाज युवा महासभा सहित कई संगठनों ने आंदोलन को जायज ठहराते हुए अपना समर्थन दिया है। इन संगठनों का कहना है कि यह केवल एक खदान का मामला नहीं, बल्कि पूरे सारंडा क्षेत्र के आदिवासी युवाओं के भविष्य से जुड़ा सवाल है।

प्रबंधन और ठेका कंपनी की चुप्पी: पांच दिन बीत जाने के बावजूद अब तक न तो सेल प्रबंधन की ओर से और न ही ठेका कंपनी की ओर से कोई प्रतिनिधि आंदोलनकारियों से वार्ता करने पहुंचा है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि जानबूझकर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है ताकि आंदोलन कमजोर पड़े, लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे बिना समाधान के पीछे नहीं हटेंगे। आंदोलन स्थल पर गांव–गांव से लोग पहुंच रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। रात–दिन वहीं डेरा डालकर लोग अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। नारे गूंज रहे हैं :

"रोजगार नहीं तो खनन नहीं",
"हमारी जमीन, हमारा हक"

स्ट्रीट वेंडर्स की चांदनी चौक पर असरदार रैली

एमसीडी की भाजपा मंडली एवं मीडिया द्वारा दुष्प्रचार का प्रयास खतरनाक

संदीप वर्मा, भारतीय पथविक्रेता महासंघ

दिनांक 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के चांदनी चौक पर टाउन हॉल के सामने से निकले स्ट्रीट वेंडर्स की असरदार रैली एवं सभा को सत्ताधारी भाजपा के कुछ नेता एवं संभ्रांत व्यवसायी द्वारा विवादास्पद बनाने, साम्प्रदायिक उन्मादी रंग देने एवं दलाल एवं गोदी मीडिया द्वारा उसे हवा देने के प्रयास देश और राजधानी दिल्ली के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स के कानूनी अधिकारों की बहाली के विरूद्ध प्रशासनिक गठजोड़ की साजिश एवं षड्यंत्रपूर्ण कार्य के सिवा कुछ नहीं है। एटक के झंडा बैनर के तले निकला जूलूस एवं प्रदर्शन का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 का कार्यान्वयन एवं देश में कानून की प्रति सत्ता एवं प्रशासन को जवाबदेह बनाना था एवं यह अभियान जारी है।

चांदनी चौक पर जूलूस, रैली एवं सभा के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उसे दिल्ली पुलिस, भ्रष्ट एमसीडी एवं सत्ता में बैठे बड़े धन्ना सेठों की सरकार की साजिशपूर्ण आपराधिक कार्रवाई बताते हुए भारतीय पथ विक्रेता महासंघ (आईएचए) इस विषय पर अपना स्पष्ट और जिम्मेदार पक्ष सार्वजनिक रूप से रखा है।

सबसे पहले महासंघ ने दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे कार्यक्रम के दौरान उसने सुरक्षा और शांति व्यवस्था के पर्याप्त प्रबंध किए। रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण अनुशासित और संवैधानिक दायरे में आयोजित की गई थी। हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, संवाद था। अराजकता नहीं, व्यवस्था थी। इस रैली का मुख्य नारा था: "घूस नहीं फीस लो, गैर कानूनी उजाड़ीकरण बंद करो"

महासंघ ने अपने बयान में कहा है कि यह नारा किसी व्यक्ति, समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं था। यह एक सीधी और साफ मांग थी भ्रष्टाचार समाप्त हो, कानून लागू हो, और स्ट्रीट वेंडर्स को उनका वैधानिक अधिकार मिले।

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह आंदोलन किसी भी प्रकार के साम्प्रदायिक एजेंडे से जुड़ा नहीं बल्कि साम्प्रदायिक सौहार्द एवं मानवीय संवेदना से ओत–प्रोत थी। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 भारत के सभी नागरिकों एवं जीविकोपार्जन करने वाले नागरिकों, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र से हों के लिए हमारी संसद द्वारा पारित कानून है। यह कानून देश के हर उस वेंडर के लिए है जो केवल आजीविका, सम्मान और कानून के शासन में सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए स्वरोजगार वाले कार्य करते हैं। रैली को कुछ भोंपू मीडिया या सत्ता में बैठी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण वाले अपराधिक तत्वों द्वारा गलत ढंग से साजिशपूर्वक प्रस्तुत करना वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाना है।

सार्वजनिक भूमि और अतिक्रमण पर हमारा स्पष्ट रुख है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं। हम अव्यवस्थित या अराजक कब्जे का समर्थन नहीं करते। हम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वेंडिंग जोन की व्यवस्था का समर्थन करते हैं जिसे संसद ने कानूनी प्रावधान बनाया है। अधिनियम, 2014 के अंतर्गत टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन, वेंडिंग जोन का निर्धारण, प्रमाणपत्र (सीओवी) जारी करना और वैज्ञानिक योजना बनाना अनिवार्य है।

हमारी मांग है कि: सार्वजनिक भूमि का उपयोग सार्वजनिक सुविधाओं के विकास हेतु विधिसम्मत तरीके से किया जाए और स्ट्रीट वेंडर्स इन सुविधाओं के लिए वैधानिक शुल्क देने के लिए तैयार हैं।

हमने नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) को लिखित रूप से प्रस्तुत किया है कि यदि पारदर्शी शुल्क प्रणाली लागू की जाए तो स्ट्रीट वेंडर्स सामूहिक रूप से प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व सरकार को देने की क्षमता रखते हैं। हम अव्यवस्था नहीं, विधिसम्मत व्यवस्था चाहते हैं। हम टकराव नहीं, समाधान चाहते हैं।

रैली में हमारी प्रमुख मांगें थीं: ★ स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 और दिल्ली स्कीम 2019 का पूर्ण क्रियान्वयन; ★ पहचान और सर्वे प्रक्रिया को तत्काल पुनः शुरू किया जाए; ★ गैर–कानूनी उजाड़ीकरण पर तुरंत रोक लगे; ★ अवैध वसूली बंद हो केवल पारदर्शी और वैध फीस ली जाए; ★ माफिया–प्रशासन नेक्सस की जांच और असली अतिक्रमण तथा अतिक्रमणकारियों पर कठोर कार्रवाई; ★वेंडर्स के लिए न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं और गरिमापूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाए।

हम दोहराना चाहते हैं– हम किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हैं। हम कानून के तहत निर्धारित वेंडिंग जोन, टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) और प्रमाणपत्र (सीओवी) की व्यवस्थित प्रक्रिया के समर्थक हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों में रैली के वातावरण को ऐसे प्रस्तुत किया गया जिससे साम्प्रदायिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। **भारतीय पथविक्रेता महासंघ** से विस्तृत पक्ष लिए बिना किसी भी आंदोलन को सीमित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। हम मीडिया से निवेदन करते हैं कि वे तथ्यों, कानून और सभी पक्षों के विचारों के आधार पर रिपोर्टिंग करें। हम संवाद के लिए हमेशा उपलब्ध हैं।

सम्मानजनक कार्य का पक्षधर भारतीय हॉकर संघ (आईएचए) एक सदस्यता–आधारित संगठन है जो स्ट्रीट वेंडर्स के वैधानिक अधिकार का कार्यान्वयन, परिस्थितियों और कानून के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए कार्यरत है। हमारा विश्वास है कि शहरी विकास और आजीविका संरक्षण साथ–साथ चल सकते हैं। यह आंदोलन शांति, संविधान और न्याय के मार्ग पर आगे बढ़ेगा।

25 फरवरी के प्रदर्शन में एटक का झंडा लिए क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स प्रदर्शन कर रहे थे। एटक देश का ऐतिहासिक प्रथम मजदूर संगठन है जिसने अंग्रेजी राज से लेकर आजाद भारत तक में अनवरत संघर्षों से श्रम एवं नागरिक अधिकार और मजदूर–किसान एवं साम्प्रदायिक सद्भाव हेतु कार्य करने का चैंपियन रहा है।

जूलूस के नेतृत्वकारी लोगों में स्ट्रीट वेंडर्स के नेता संदीप वर्मा, मोहित बलेचा, सलाउदीन, सहित एटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरि, दिल्ली एटक के नेतागण रामराज, सतीश कुमार, संदीप राणा, विवेक श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में चांदनी चौक सहित दिल्ली के पथ विक्रेता जिसमें सभी धर्म और जाति के लोग शामिल थे जिनसे हर माह करोड़ों की अवैध वसूली की जाती है। इसलिए नारे लगाये जा रहे थे – **"घूस नहीं फीस लो"।** जिस नारे से साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ – वह था **"जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है"** अर्थात् सरकार जनता बनाती है, देश की मालिक देश की जनता होती है। इसलिए देश की सारी संपदा की मालिक जनता है। सरकारी जमीन भी जनता की है। इस जनता की संपत्ति को चोर बेईमान बपौती मान बेचते हैं। इसका विरोध एवं संवैधानिक मर्यादा की रक्षा का नारा था **'जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है,** यानी जनता की है। उसे गलत ढंग से बताना एवं साम्प्रदायिक रंग देना दंडनीय अपराध जैसा है।

8 मार्च – महिला दिवस पर विशेष

हिंसा के विरुद्ध, अधिकारों, न्याय और विश्व शांति के लिए महिलाओं का एकजुट होना जरूरी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

डॉ. बी.वी. विजयलक्ष्मी

एक सदी से भी अधिक समय पहले, महिला कपड़ा श्रमिकों ने मैनहट्टन की कड़ाके की ठंड में सड़कों पर उतरकर एक ऐसी मांग रखी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया: **"काम के घंटे सीमित किए जाएं"।**

वे श्रमिक वर्ग की महिलाएं थीं: भूखी, शोषित, जो समझती थीं कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के बिना गरिमा नहीं हो सकती। इस ऐतिहासिक हड़ताल ने उस नींव को रखा जिसे हम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। इससे पहले क्लारा ज़ेटकिन जैसी समाजवादी नेताओं से प्रेरित होकर, और यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की महिलाओं द्वारा अपनाए गए 8 मार्च का दिन वर्ग संघर्ष, मताधिकार आंदोलनों और महिलाओं और श्रमिक वर्ग की सामूहिक शक्ति से जन्मा।

आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए, हम इसकी जड़ों की ओर लौटते हैं: एक रस्म के रूप में नहीं, बल्कि संघर्षों के आह्वान के रूप में।

मताधिकार से समाजवाद तक: महिला श्रमिकों का वैश्विक संघर्ष

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दान या परोपकार से उत्पन्न नहीं हुआ। यह कारखानों, ट्रेड यूनियनों और समाजवादी सम्मेलनों से उभरा।

महिलाओं की मांगें: मतदान का अधिकार, समान वेतन, काम के कम घंटे, मातृत्व संरक्षण, युद्ध के स्थान पर शांति।

1908 में न्यूयॉर्क में कपड़ा श्रमिकों की हड़तालों से लेकर कोपेनहेगन में समाजवादी महिला सम्मेलनों तक, मताधिकार और श्रम अधिकारों का आंदोलन अविभाज्य था। कई देशों में महिलाओं को मताधिकार इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह उन्हें उपहार में दिया गया था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने संगठित होकर, मार्च निकालकर और हड़तालें करके यह अधिकार हासिल किया। 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च को मान्यता देने से उस ऐतिहासिक उपलब्धि को संस्थागत रूप दिया गया जो श्रमिक वर्ग की महिलाओं ने पहले ही हासिल कर ली थी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए: ये अधिकार शासक वर्गों द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे, इन्हें उनसे छीना गया था।

भारत: वर्ग संघर्ष में अग्रणी महिलाएं

भारत में महिलाएं इतिहास में निष्क्रिय भागीदार नहीं थीं। वे औपनिवेशिक विरोधी प्रतिरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ, तेलंगाना और तेभागा संघर्षों में और किसान विद्रोहों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। महिलाओं ने कामकाजी महिलाओं के अधिकारों को लगातार प्रमुखता दी है–चाहे वे कृषि मजदूर हों, कारखाने में काम करने वाली हों, आंगनवाड़ी कर्मचारी हों, शिक्षिकाएँ हों या नर्स हों।

आज की वास्तविकता बेहद कड़वी है: भारत के 93% कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत है। इस अनौपचारिक कार्यबल में लगभग 50% महिलाएं हैं। ये महिलाएं हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं – खेतों में, निर्माण स्थलों पर, घरों में, कपड़ा कारखानों में, स्कूलों में, अस्पतालों में और कल्याणकारी योजनाओं में। फिर भी वे नीतिगत प्राथमिकताओं में अनदेखी रह जाती हैं।

श्रम संहिताएं: सुधार या प्रतिगमन? श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समेकित करना – औद्योगिक संबंध संहिता 2020, मजदूरी संहिता 2019, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता 2020, और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 – को "व्यापार करने में सुगमता" के नाम पर उचित ठहराया गया है। लेकिन सुगमता किसके लिए और किस कीमत पर? महिला कामगारों के लिए चिंताएं गंभीर हैं :

सार्वभौमिक मातृत्व अवकाश का अभाव: पूर्व मातृत्व लाभ अधिनियम

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएँ

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्रा, शिक्षिका, वैज्ञानिक, कलाकार और समाज के हर क्षेत्र में संघर्षरत बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ और अभिनंदन करता हूँ।

महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि यह उन ऐतिहा. सिक संघर्षों की याद दिलाने का दिन है जिनके बल पर महिलाओं ने समान अधिकार, सम्मानजनक काम, समान वेतन, सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। आज भी कार्यस्थलों पर असमान वेतन, असुरक्षित काम के हालात, असंगठित क्षेत्र में भारी संख्या में काम करने वाली महिलाओं की समस्याएँ और सामाजिक भेदभाव जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने मौजूद हैं।

हमारा दायित्व है कि हम महिलाओं के श्रम, योगदान और नेतृत्व को सम्मान दें तथा समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित समाज के निर्माण के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करें।

आइए, इस अवसर पर हम यह संकल्प लें कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल, समान अवसर और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित करने के लिए अपने संघर्ष को और मजबूत करेंगे।

सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

विद्यासागर गिरि, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एटक एवं संपादक टीयूआर

पिछले पृष्ठ का शेष: हिंसा के विरुद्ध महिलाओं का एकजुट होना

1961 के तहत कुछ संस्थानों में सवैतनिक मातृत्व अवकाश की गारंटी थी। नई व्यवस्था के तहत, सभी कामकाजी महिलाओं, विशेष रूप से अनौपचारिक या संविदा रोजगार में लगी महिलाओं के लिए कोई सार्वभौमिक, राज्य–वित्त पोषित मातृत्व गारंटी नहीं है। आज, यहां तक कि डॉक्टर, व्याख्याता और निजी क्षेत्र के पेशेवर भी अल्पकालिक अनुबंधों पर नियुक्त किए जाते हैं। कई लोगों के सामने एक कठिन विकल्प होता है: मातृत्व अवकाश लें और अनुबंध नवीनीकरण न होने का जोखिम उठाएं या रोजगार बनाए रखने के लिए प्रसव के तुरंत बाद काम पर लौट आएं।

नौकरी की सुरक्षा का अभाव: विस्तारित निश्चित अवधि के रोजगार और छंटनी की मंजूरी के लिए उच्च सीमा के साथ, नियोक्ता दीर्घकालिक दायित्वों से बच सकते हैं। अनुबंध नवीनीकरण न होना बर्खास्तगी का विकल्प है। गर्भवती या विवाहित महिलाओं के अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं हो सकता है।

वेतन और ओवरटाइम की अनिश्चितता: लंबे कार्य घंटे सामान्य हो गए हैं। व्यवहार में, कई कर्मचारी आनुपातिक ओवरटाइम मुआवजे के बिना लंबी शिफ्ट में काम करने की शिकायत करते हैं।

अंतिम लाभों में कमी: अल्पकालिक अनुबंधों के तहत खंडित सेवा रिकॉर्ड के कारण ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और छंटनी मुआवजे की प्राप्ति अनिश्चित हो जाती है। श्रम निरीक्षण का कमजोर होना, पारंपरिक प्रवर्तन प्रणाली अब एक "निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता" मॉडल में परिवर्तित हो गई है। जब निरीक्षण दंडात्मक होने के बजाय सलाहकारी हो जाता है, तो अनुपालन कमजोर हो जाता है। महिला श्रमिकों के लिए, इसका अर्थ है कागजों पर अधिकार, लेकिन व्यवहार में असुरक्षा। यह श्रम सुधार नहीं है – यह श्रमिक वर्ग की कीमत पर श्रम का लचीलापन है।

लैंगिक अंतर और मानव विकास: असमान वास्तविकता

भारत की विकास गाथा लैंगिक असमानताओं को छिपा नहीं सकती। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2023–24 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 0.644 है, जो 193 देशों में 134वें स्थान पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक पर, भारत 193 देशों में 108वें स्थान पर है।

ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है, जहां लैंगिक समानता केवल लगभग 64% ही हासिल हुई है।

महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है, जो संरचनात्मक आर्थिक बहिष्कार को दर्शाती है। लैंगिक न्याय के बिना आर्थिक विकास अधूरा है।

न्याय में देरी: प्रत्युषा का मामला: भारत में न्याय की गति अक्सर घावों को और गहरा कर देती है। साल 2002 में युवा बॉलीवुड अभिनेत्री प्रत्युषा के बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। फिर भी, आरोपी को आत्मसमर्पण के लिए बुलाने वाली अंतिम सुनवाई 24 साल बाद ही हुई। दो दशकों से अधिक समय तक आरोपी ने अपनी जिंदगी के सुनहरे दौर का आनंद लिया। पीड़िता का परिवार शोक, अदालती तारीखों, स्थगन और अनुत्तरित सवालों से जूझता रहा। जब न्याय एक पीढ़ी बाद आता है तो उसका क्या अर्थ रह जाता है? हिंसा का सामना करने वाली अनगिनत महिलाओं के लिए, विलंबित न्याय अन्याय को और भी बढ़ा देता है।

अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के 50 वर्ष

1975 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, तब भारत ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) की शुरुआत की गई। पचास साल बाद, आईसीडीएस ने बाल पोषण और जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मातृ मृत्यु दर में दशकों से गिरावट आई है; शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है। फिर भी, आईसीडीएस एक योजना ही बनी हुई है, न कि एक स्थायी, सार्वभौमिक, अधिकार–आधारित हक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ–कार्यक्रम की रीढ़–आज भी "मानद" स्वयंसेवकों की श्रेणी में आती हैं और उन्हें उचित वेतन के बजाय मानदेय मिलता है। पाँच दशकों के बाद भी, कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम देने वाली ये महिलाएँ कम वेतन और असुरक्षा का सामना कर रही हैं। यह विरोधाभास हमारे समय की पहचान है।

रोटी और शांति से लेकर आज के युद्धों तक

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की तबाही के बीच हुई थी। महिलाओं ने रोटी और शांति की मांग की थी। आज, एक बार फिर, महाद्वीपों में युद्ध छिड़े हुए हैं। स्कूलों पर बमबारी हो रही है। नागरिक विस्थापित हो रहे हैं। रिपोर्टों में अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों का जिक्र है, जिनमें एक ही हमले में 170 से अधिक छात्र मारे गए। सैन्यवाद और भू–राजनीतिक आक्रामकता का खामियाजा महिलाओं और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। यह सब तब हो रहा है जब हम पिछले तीन वर्षों में गाजा में मारे गए 35,000 से अधिक लोगों और यूक्रेन और रूस में मारे गए कई और लोगों को भूल नहीं पा रहे हैं।

साम्राज्यवादी युद्ध और कब्ज़ा परिवारों को तबाह करते हैं, भविष्य को नष्ट करते हैं और वैश्विक असमानता को गहरा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आह्वान 2026 में भी गूंज रहा है : **रोटी, शांति, न्याय। विश्व की महिलाएं – एकजुट हों!**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल दिखावटी उत्सव नहीं है। यह प्रतिरोध का दिन है। श्रमिक असुरक्षा के खिलाफ लड़ रही महिलाओं से लेकर पोषण और स्वास्थ्य सेवा की मांग कर रही माताओं, न्याय की मांग कर रही पीड़ितों और युद्ध का विरोध कर रहे समुदायों तक – हमारे संघर्ष आपस में जुड़े हुए हैं।

आइए हम अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएँ: ★ श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर होने से बचाने के लिए। ★ सार्वभौमिक मातृत्व और सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। ★ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए। ★ कल्याणकारी योजनाओं को गारंटीकृत अधिकारों में बदलने के लिए। ★ साम्राज्यवादी युद्धों का विरोध करने और विश्व शांति के लिए खड़े होने के लिए।

एक सदी पहले की महिलाओं ने अनुमति का इंतजार नहीं किया। उन्होंने मार्च किया – और इतिहास बदल गया। आइए हम उसी भावना से फिर से उठें। महिलाएं हिंसा के खिलाफ एकजुट हों – अधिकारों, न्याय और विश्व शांति के लिए एकजुट हों।

गुरूग्राम में एटक ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं को दी जाए सामाजिक सुरक्षा: अनीता यादव

गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर श्रमिक संगठन एटक द्वारा मानेसर क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन एटक की राज्य सचिव कामरेड अनिता यादव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा महिला सभा की सदस्यों, एटक के सदस्य, भवन निर्माण संगठन, कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन कामरेड रेखा ने किया। एटक के राज्य महासचिव अनिल पवार ने भी संदेश भेजकर महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। अनिता यादव ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं। उनके द्वारा भेदभाव किया जाता है। महिला पहलवान ने दुर्व्यवहार को लेकर आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों पर प्रिवेशन ऑफ सेक्शुअल ह्यसमेंट एक्ट का शक्ति से क्रियान्वयन किया जाए, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ विशेष कानून बनाया जाए। उन्होंने मांग की है कि सभी कल्याणकारी परियोजनाओं को पर्याप्त बजट मुहैया कराया जाए, घरों में साफ सफाई व अन्य कार्यों में जुटी महिलाओं को न्यूनतम वेतन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ, डे केयर सेंटर की व्यवस्था की जाए, महंगाई पर रोक लगे, कामकाजी महिलाओं के लिए आवासीय हॉस्टल का निर्माण हो, रात्रि के समय कार्य करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था हो, नशे पर रोक लगाई जाए। कार्यक्रम में प्रेम सोना, भतेरी, सावित्री, कमला, रेशमी, रेशम, गीता, पूनम, सुमन, आशा, सोनू, करिश्मा, राजरानी, पुष्पा, कमलेश, मुकेश, मीना आदि मौजूद रही।

महिला दिवस पर केक काटने का दृश्य

बिहार राज्य आंगनवाड़ी की बैठक में 23 अप्रैल दिल्ली चलो का आह्वान 10 मई को पटना में राज्य सम्मेलन करने का निर्णय

08 मार्च 2026 को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की राज्य कमिटी की बैठक श्री मती चंद्रा वती देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य महासचिव कुमार विंदेश्वर सिंह ने चार विषयों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार 2018 के बाद अभी तक एक रूपया भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय राशि में बृद्धि नहीं किया है, न्युन्तम मजदूरी की बात करना तो अपराध ही है। यही है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना! बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का झूठा नारा। उन्होंने कहा सिर्फ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को क्रमशः 26000 एवं 18000 रूपये मान्देय करने सहित अन्य मांगों को लेकर 21, 22 एवं 23 अप्रैल 2026 को तीन दिवसीय संसद भवन के समक्ष धरना–प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम किया जायेगा। राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों को तीन दिन में बांट दिया गया है। बिहार का स्थान 23 अप्रैल 2026 को पड़ेगा, अतएव बिहार राज्य के लोगों को यहाँ से 21 अप्रैल को पटना या फिर अन्य स्थानों से दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है, बिहार का जत्था 22 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगी और 23 अप्रैल को संसद भवन के समक्ष लोग कार्यक्रम में भाग लेंगी और फिर वापस आ जायेगी।

आप लोगों को यह जानकारी थी कि **आंगनबाड़ी का राज्य सम्मेलन, 28 एवं 29 मार्च, 2026 को पूर्णिया में होगा** जिसकी चर्चा दो वर्ष पूर्व से चल रही थी परंतु सब कुछ तय होने के बाद भी सम्मेलन की विधिवत तैयारी नहीं होने के कारण पूर्णिया में सममेलन कार्यक्रम स्थगित कर 9 एवं 10 मई को पटना में करने का निर्णय लिया गया है।

जिला एवं परियोजना कमिटी का विधिवत वार्षिक रजिस्ट्रेशन (निबंधन) एवं सम्मेलन कर चुनाव नहीं कराने पर भी बल दिया गया है। अब तक मात्र आठ जिलों का ही सम्मेलन कर चुनाव कराया गया है, शेष जिला बाकी है। राज्य सम्मेलन से पूर्व जिला सम्मेलन निश्चित रूप से कर लिया जाय।

इसी बीच एक अवसर दिया गया है कि 15 दिन के अंदर कोई भी जिला कमिटी अगर राज्य सम्मेलन अपने यहाँ कराना चाहती है तो बजाप्ता लिखित प्रस्ताव राज्य केन्द्र को भेजा जा सकता है।

बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

1. संसद भवन के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 21 अप्रैल 2026 को पटना एवं अन्य स्थानों से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया जायगा।

2. राज्य सम्मेलन– आंगनबाड़ी का राज्य सम्मेलन 09 एवं 10 मई 2026 को पटना में करने का निर्णय लिया गया है। राज्यों के सभी जिला एवं परियोजना कमिटी के लोगों के द्वारा सम्मेलन का खर्चा में सहयोग किया जायगा। प्रत्येक परियोजना कमिटी को कम से कम 11 हजार रूपया सहयोग करने का निर्णय लिया गया।

3. जिला एवं परियोजना कमिटी का वार्षिक रजिस्ट्रेशन अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. परियोजना कमिटी का वार्षिक सदस्यता बनाकर सम्मेलन कर विधिवत चुनाव कराया जाना सुनिश्चित किया जाय और संगठन को मजबूत बनाया जाय। इसका बजाप्ता लिखित सूचना सीडीपीओ, डीपीओ, डीएम एवं डॉयरेक्टर को दिया जाये।

एटक ईरान पर हमले की निंदा करता है, युद्ध नहीं, शांति की बहाली आवश्यक है

एआईटीयूसी ईरान पर छेड़े गए युद्ध की कड़ी निंदा करता है, जिसका कथित उद्देश्य सत्ता परिवर्तन है, लेकिन इसके पीछे तेल संसाधनों पर नियंत्रण और इजराइल के जायोनी शासन के माध्यम से मध्य पूर्व के देशों पर प्रभुत्व स्थापित करने का गुप्त मकसद है। अब और नहीं, अमेरिकी शासन का यह दावा कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था, पूर्णतः असत्य और झूठा प्रचार है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहले ही कहा है कि ईरान की गतिविधियों में परमाणु बम बनाने का कोई सबूत नहीं है और वह केवल परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए काम कर रहा है।

ईरानी गणराज्य के प्रमुख अयातुल्ला खुमैनी, सरकार में उनके अन्य सहयोगियों और उनके सभी परिवार के सदस्यों, जिनमें पोते–पोतियां भी शामिल हैं, की हत्या के साथ–साथ ट्रम्प द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने की खुली अपील, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र समुदाय, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, विश्व शांति और राष्ट्रों और उनके लोगों की संप्रभुता के लिए एक खुली चुनौती है।

यह अग्रणी साम्राज्यवादी शक्ति अमेरिका द्वारा अपने चिरस्थायी सहयोगी और फिलिस्तीनियों और सामान्य रूप से मानवता के खिलाफ विभिन्न अपराधों में भागीदार के साथ गठबंधन में चुना गया एक खतरनाक रास्ता है।

यह अत्यंत निंदनीय है कि भारत की सरकार आज (2 मार्च) तक इस मामले पर मौन है, जिससे हमारे देश और मध्य पूर्व के देशों में रहने और काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिकों के हितों को भी खतरा है।

भारत की सरकार को उन देशों के साथ खड़ा होना चाहिए जो राष्ट्रों की संप्रभुता, उनकी जनता और विश्व में शांति बनाए रखने के मूल्यों का समर्थन करते हैं।

शैतान को ताकतवर देख उसे बाप बनाने वाले शैतान की औलाद ही कहलायेंगे!

अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स का बयान

"राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दक्षिणपंथी उग्रवादी इजराइली सहयोगी बेंजमिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक अवैध, पूर्वनियोजित और असंवैधानिक युद्ध शुरू किया है। दुखद रूप से, ट्रंप अमेरिकी लोगों की जान और धन को दांव पर लगा रहे हैं ताकि नेतन्याहू की दशकों पुरानी महत्वाकांक्षा अमेरिका को ईरान के साथ सशस्त्र संघर्ष में घसीटने की पूरी हो सके।

अमेरिकी संविधान स्पष्ट है। युद्ध की घोषणा कांग्रेस करती है, कोई राष्ट्रपति एकतरफा निर्णय लेकर नहीं। सीनेट को तुरंत पुनः बैठक बुलाकर लंबित वॉर पावर्स रिजॉल्यूशन पर मतदान करना चाहिए, जिसका मैं दृढ़ता से समर्थन करूंगा। इसके अलावा, ईरान के खिलाफ यह हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और पहले से ही खतरनाक दुनिया में अस्थिरता बढ़ाएगा। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल किसी संप्रभु राष्ट्र पर हमला कर सकते हैं, तो कोई भी अन्य देश भी ऐसा कर सकता है। ताकत ही न्याय नहीं बनाती। इससे अंतरराष्ट्रीय अराजकता, मौत, विनाश और मानवीय पीड़ा पैदा होती है।

अमेरिकी जनता से वियतनाम के बारे में झूठ बोला गया था। अमेरिकी जनता से इराक के बारे में झूठ बोला गया था। और आज फिर अमेरिकी जनता से झूठ बोला जा रहा है और एक बार फिर इसकी कीमत आम लोग चुकाएंगे।

हमारे देश के लोग, चाहे उनकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, अंतहीन युद्ध नहीं चाहते। वे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां, सस्ती स्वास्थ्य सेवा और आवास चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा मिले। हमें ट्रंप को हमें एक और निरर्थक युद्ध में धकेलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

ईरान के साथ युद्ध नहीं।"

क्रूर साम्राज्यवादी हत्यारे अमेरिका और यहूदी इजराइल द्वारा 185 स्कूली छात्राओं की हत्या से मानवता स्तब्ध

पूरी दुनिया की मानवता ईरानी बच्चियों के सामूहिक कब्र के इस हृदय विदारक दृश्य और उनके मासूम फोटो से विचलित है। पूंजीवादी–साम्राज्यवादी–अमानवीय हृदयहीन इजराइल एवं अमेरिका ने इस कुकृत्य के लिए माफी नहीं मांगी है। उस अमेरिकी–इजरायल गठजोड़ का एजेंट बन चुकी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं सनातनी सभ्यता की दंभ भरने वाली मोदी सरकार इसकी निंदा तक करने एवं संवेदना देने से भी परहेज करती रही है जो भारत के लिए अपमानजनक है। यह कुकृत्य भारत की विदेश नीति को अमेरिका के समक्ष गिरवी रखने का संकेत देता है।

युएस इजराइल गठजोड़ की बुराई का नग्न रूप ईरान पर हमला एवं युद्ध थोपना

भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी परेशान करने वाली : डी राजा

डी. राजा, जनरल सेक्रेटरी, सीपीआई ने अपने बयान में कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सीधी मिलिट्री फोर्स से हत्या एक गंभीर और खतरनाक बढ़ोतरी है। हम लेफ्ट वालों ने महिलाओं के अधिकारों, डेमोक्रेटिक आजादी और सिविल लिबर्टीज पर खामेनेई शासन की लगातार आलोचना की है। लेकिन पॉलिटिकल मतभेद कभी भी किसी देश के सॉवरेन हेड की इंपीरियलिस्ट कसाइयों के हाथों टारगेटेड हत्या को सही या नॉर्मल नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसे कामों को मान लिया जाता है, तो इंटरनेशनल कानून बेमतलब हो जाता है और सॉवरेनिटी कंडीशनल हो जाती है।

सात दशकों से, यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया में झगड़े की मुख्य वजह रहा है। वियतनाम की तबाही से लेकर, ग्वाटेमाला और चिली में तख्तापलट, निकारागुआ में कॉन्ट्रा युद्ध और पनामा पर हमले से लेकर, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया की तबाही और सीरिया में लंबे समय तक दखल तक। पैटर्न एक जैसा है: दखल, शासन बदलना, अफरा–तफरी। अब किसी मौजूदा देश के हेड की हत्या करना तथाकथित रूल्स बेस्ड ऑर्डर को उसकी आखिरी पहचान से भी छीन लेना है। सॉवरेनिटी साफ तौर पर सिर्फ उन लोगों पर लागू होती है जो वॉशिंगटन के साथ हैं। मिनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बमबारी, जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर स्कूल की लड़कियाँ थीं, ने पहले ही दिखा दिया था कि यूएस–स्पॉन्सर्ड दखल कैसा दिखता है।

भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी परेशान करने वाली है। ईरान एक दोस्ताना, समय की कसौटी पर खरा उतरा पार्टनर रहा है, कश्मीर पर सपोर्टिव रहा है और ओआईसी के अंदर बैलेंस्ड है। चाबहार पोर्ट में भारत का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, जो पाकिस्तान को बाइपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए जरूरी है, ईरान की अस्थिरता से सीधे खतरे में है। अगर यूएस–इजराइल नेक्सस के आगे यह सरेंडर जारी रहता है, तो भारत ग्लोबल साउथ में कड़ी मेहनत से कमाई गई गुडविल खोने का रिस्क उठाएगा। एक देश जो कभी नॉन–अलाइमेंट का सपोर्ट करता था, वह तब चुप नहीं रह सकता जब सॉवरेनिटी को ही जबरदस्ती खत्म कर दिया जाए।

एटक ने राजस्थान ईंट भट्ठा में मृत मजदूर के परिजनों को मुआवजा दिलाया

चुरु ईंट भट्ठे पर जान गंवाने वाले प्रतापगढ़ निवासी के परिवार को चेक मिला

राजस्थान में एक ईंट भट्ठे पर हुए हादसे में जान गंवाने वाले प्रतापगढ़ निवासी मजदूर के परिजनों को आर्थिक सहायता मिली है। श्रम विभाग ने मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि का चेक प्रदान किया।

यह मामला राजस्थान के चुरु जिले का है। 6 नवंबर 2023 को मेजर्स बीबीसी ईंट भट्ठा उद्योग में झोंकवार के दौरान भट्ठे में आग लगने से एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया था। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक मजदूर प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील अंतर्गत कॉडर खुर्द गांव का निवासी था। इस मामले में कर्मचारी प्रतिकार आयुक्त एवं सहायक श्रम आयुक्त द्वारा नियमानुसार कुल 12 लाख 62 हजार 274 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई।

ईंट भट्ठे के झोकुआ मजदूर की मृत्यु के बाद लड़कर मुआवजा का चेक दिलवाते एटक नेता हेमंत नंदन ओझा

यह राशि मृतक की पत्नी माधुरी देवी तथा उनके बच्चों ऋषि कुमार और खुशी देवी को चेक के माध्यम से प्रदान की गई। मुआवजे की एक निश्चित धनराशि एफडी एवं एमआईएस के रूप में जमा की गई, जबकि शेष राशि रेखांकित चेक के माध्यम से दी गई।

प्रतापगढ़ जनपद में सोमवार को एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान यह मुआवजा चेक सौंपा गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रांतीय सचिव एवं श्रमिक नेता हेमंत नंदन ओझा भी उपस्थित रहे। चेक प्राप्त करने के बाद मृतक की पत्नी माधुरी देवी ने सहायक श्रम आयुक्त सुविज्ञ सिंह तथा श्रमिक नेता हेमंत नंदन ओझा के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया।

बरौनी एनटीपीसी में एटक का धरना समझौता सम्पन्न

बरौनी थर्मल पावर कर्मचारी यूनियन संबंध एआईटीयूसी एनटीपीसी बरौनी इकाई जिला बेगूसराय बिहार द्वारा सामुहिक धरना के बाद समझौता सम्पन्न हो गया। यह जानकारी एटक के नेता प्रहलाद सिंह ने दी है। मजदूरों का धरना 12 सूत्री मांगों को लेकर 25 फरवरी 2026 से आयोजित था जो 24 फरवरी देर रात बातचीत के बाद प्रबंधन की श्रम संघ की मांगों की स्वीकारोक्ति 6 मार्च 2026 तक सभी बिंदुओं को लागू करने के आश्वासन पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति के आधार पर खत्म किया गया।

एनटीपीसी बरौनी में एटक का प्रदर्शन सभा का दृश्य →

पाठ्यपुस्तकों के सिलेबसों में असत्य और पक्षपाती एनसीआरटी मॉड्यूल खतरनाक

भारत विभाजन की अपूर्ण कथा और इतिहास की चुनिंदा प्रस्तुति

विभाजन की त्रासदी को लेकर सत्ता समर्थक लेखक और एनसीईआरटी का नया मॉड्यूल इतिहास को अधूरा व पक्षपाती रूप में पेश करते हैं। हिंदू महासभा–आरएसएस की भूमिका गायब है, नेहरू पटेल का असमान चित्रण है और अंग्रेजों की जिम्मेदारी को हल्का दिखाया गया है। गांधीजी की चेतावनी व जनता की पीड़ा को भी नजरअंदाज किया गया है। इतिहास को संतुलित व सच्चे रूप में प्रस्तुत करना आज और भी जरूरी हो गया है।

भारतीय समाज और राजनीति के लिए स्थायी घाव छोड़ गई भारत विभाजन की त्रासदी को लेकर सत्ताधारी पार्टी के समर्थक लेखकों द्वारा तरह तरह के दावे किये जा रहे हैं। हाल में प्रकाशित एनसीईआरटी के विभाजन की भयावहता मध्य चरण मॉड्यूल में भी विभाजन की कहानी को पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये सभी प्रस्तुतियाँ कुछ पहलुओं को बढ़ा–चढ़ाकर दिखाने और अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों को बहुत ही चतुराई से छिपाने का प्रयास हैं।

सबसे बड़ी कमी यह है कि मॉड्यूल में हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है। इतिहासकारों ने बार–बार प्रमाणित किया है कि 1937 से ही सावरकर और हिंदू महासभा ने "दो राष्ट्र सिद्धांत" का समर्थन किया, और आरएसएस ने सांप्रदायिक राष्ट्रवाद को हवा दी। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर प्रांतीय सरकारें चलाईं। सिंध प्रांतीय सभा द्वारा पारित भारत विभाजन प्रस्ताव पर हिंदू महासभा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से इन दोनों संगठनों ने दूरी बना ली, जिससे मुस्लिम लीग को अपनी जड़ें और गहरी करने का अवसर मिला। इन संगठनों की चुप्पी और उनकी वैचारिक स्थिति ने विभाजन की जमीन तैयार करने में योगदान दिया। लेकिन मॉड्यूल इन्हें पूरी तरह चर्चा से बाहर रखता है, जिससे इतिहास अधूरा रह जाता है।

दूसरा पक्ष है नेहरू और पटेल की भूमिका का असमान चित्रण। नेहरू को विभाजन को स्वीकार करने वाले नेता के रूप में बार–बार रेखांकित किया गया है, जबकि पटेल को केवल मजबूरी में विभाजन स्वीकारने वाला दिखाया गया है। वास्तव में, दिसंबर 1946 में सबसे पहले पटेल के मन में ही यह विचार आया कि मुस्लिम लीगियों के साथ न केवल सरकार चलाना असंभव है, बल्कि देश की प्रगति भी नहीं हो सकेगी। कांग्रेस कार्यसमिति और महासमिति की बैठकों में पटेल के वक्तव्यों को न बताकर मॉड्यूल ने संतुलन खो दिया है।

अंग्रेजों की जिम्मेदारी को भी मॉड्यूल हल्के ढंग से प्रस्तुत करता है। वायसराय वेवेल और माउंटबेटन के उद्धरणों में वे खुद को निर्दोष बताते हैं, जबकि हकीकत यह थी कि ब्रिटिश सत्ता ने लंबे समय तक "फूट डालो और राज करो" की नीति अपनाई। वेवेल की निष्क्रियता के कारण ही कलकत्ता के दंगे नहीं रोके जा सके और गांधीजी ने उनकी विदाई की मांग की थी। वहीं माउंटबेटन की जल्दबाजी ने लाखों निर्दोषों को मौत और विस्थापन की आग में झोंक दिया। वस्तुतः विभाजन की पूरी योजना लंदन दौरे के दौरान माउंटबेटन ने तैयार की थी और इसे मई 1947 में सबसे पहले नेहरू को दिखाया था। इसे देखकर नेहरू जी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए थे। इस पहलू को गंभीरता से न दिखाना एक बड़ी चूक है।

महात्मा गांधी के विभाजन–विरोधी विचारों को केवल औपचारिक उल्लेख तक सीमित कर दिया गया है। जबकि गांधी बार–बार कहते रहे कि विभाजन "उनके लिए अंग–भंग जैसा होगा" और अंत तक वे सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा के लिए प्रयासरत रहे। प्यारेलाल की पूर्णाहुति और कृपलानी की गांधी जीवन और विचार में विस्तार से दर्ज है कि गांधी किस तरह जिन्ना के साथ समझौते की संभावनाएँ तलाशते रहे। अप्रैल 1947 के प्रथम सप्ताह में उन्होंने वायसराय माउंटबेटन को नौ सूत्रीय सुझाव दिए। इसमें जिन्ना को मंत्रिमंडल गठन की छूट और पाकिस्तान की मांग को हिंसा नहीं बल्कि तर्क से सिद्ध करने की शर्त रखी। माउंटबेटन सहमत थे, पर उनके सलाहकारों ने इरविन–पैक्ट जैसी गलती की आशंका में विरोध किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने कांग्रेस नेतृत्व में मतभेद भी गहरा दिए। कांग्रेस कार्यसमिति ने गांधीजी की योजना ठुकरा दी और विभाजन को "हार" कहने वाली उनकी चेतावनी भी नहीं मानी। परंतु मॉड्यूल में गांधी की यह नैतिक चेतावनी लगभग नजरअंदाज कर दी गई है।

14 जून को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गांधीजी ने कहा कि कार्यसमिति के निर्णय को अस्वीकार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने पर पूरी कार्यसमिति को इस्तीफा देना पड़ेगा और नई कार्यसमिति का गठन करना होगा। यदि विरोधी सदस्य इन जिम्मेदारियों को उठाने को तैयार हों तो वे निर्णय अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। मतदान में 157 सदस्य पक्ष में और 15 विरोध में रहे। इस प्रकार कांग्रेस ने विभाजन दुखी मन से स्वीकार किया। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने माना कि अंतरिम सरकार के अनुभव और मुस्लिम लीग की अड़ंगेबाजी ने परिस्थितियाँ बदल दीं। लीग के मंत्री यहाँ तक कि दंगे शांत करने के प्रयासों में भी बाधा डालते रहे। वस्तुतः देश का जनमत विभाजन के पक्ष में था और गांधीजी को भी इसका अहसास हो गया था।

मॉड्यूल का निष्कर्ष कहता है कि किसी धर्म को विशेषाधिकार न दिया जाए, राजनीति में कट्टरता और हिंसा का स्थान न हो और इतिहास को न तो सफेदपोश बनाया जाए और न अतिरंजित। लेकिन यही बातें वर्तमान शासन की नीतियों में नहीं दिखाई देतीं। आज धर्म आधारित ध्रुवीकरण की राजनीति तेज है, इतिहास को चुनिंदा दृष्टिकोण से गढ़ा जा रहा है और विभाजन की स्मृति को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मॉड्यूल यह दावा भ्रामक है कि बहुत से लोगों को विभाजन का इतिहास मालूम ही नहीं। और यदि शिक्षकों को भी यह सब विस्तार से ज्ञात नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? साहित्य, सिनेमा और शोध में इस पर व्यापक काम हुआ है। यह कहना कि लोग नहीं जानते, दरअसल नई पीढ़ी को विशेष दृष्टिकोण से इतिहास पढ़ाने का बहाना है। मुस्लिम लीग की जिद, अंग्रेज की चालबाजी तथा दोनों समुदायों के बीच गहरे अविश्वासको विभाजन का कारण मानने वाले राममनोहर लोहिया के अनुसार, विभाजन केवल सत्ता का सौदा नहीं था, बल्कि समाज की चेतना पर चोट थी। एनसीईआरटी मॉड्यूल इसमें जनता, स्त्रियाँ, किसान और मुस्लिम–सिंधी समाज की पीड़ा को पर्याप्त रूप से नहीं दिखाता।

एनसीईआरटी मॉड्यूल इतिहास को चुनिंदा तथ्यों और राजनीतिक दृष्टि से प्रस्तुत करते वास्तव में, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में चारों ओर से घिरी मोदी सरकार स्वतंत्रता आंदोलन और देश के विभाजन का ठीकरा कांग्रेस के नेताओं पर फोड़कर अपनी कठिन स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। इतिहास के पाठ्यक्रम संतुलित और सच्चे होना चाहिए। गांधीजी की चेतावनी याद दिलाती है कि सांप्रदायिकता और हिंसा राष्ट्र को मजबूत नहीं बनाती, असली शक्ति विविधता में एकता और आपसी विश्वास में है।

"खदान बंद, मजदूर भूखे – भुगतान गायब!"

टाटा स्टील की विजय–टू खदान के 150 मजदूर सड़क पर उतरे, वेंडर कमला इंटरप्राइजेज पर गंभीर आरोप

शैलेश सिंह, सिंहभूमि न्यूज

टाटा स्टील की विजय–टू खदान से जुड़े मजदूरों का गुस्सा अब विस्फोट में बदल चुका है।

17 अगस्त से बंद पड़ी टाटा की विजय–टू खदान में कार्यरत लगभग 150 मजदूरों को आज तक न तो उनकी ग्रेच्युटी मिली और न ही फाइनल भुगतान। महीनों से टालमटोल झेल रहे मजदूरों ने आखिरकार 23 फरवरी को बंद खदान की सड़क पर बैठकर आंदोलन शुरू कर दिया।

मजदूरों का सीधा आरोप है कि खदान बंद होने के बाद वेंडर कंपनी कमला इंटरप्राइजेज ने जानबूझकर उनके बकाया भुगतान को दबा दिया है। अब मजदूरों ने साफ कर दिया है – "जब तक पैसा नहीं मिलेगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा।"

एएलसी (केंद्रीय) के समक्ष वादा, सड़क पर धोखा: इस पूरे मामले में प्रशासनिक भरोसे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। मजदूरों ने बताया कि यह मामला पहले ही एएलसी (केंद्रीय) कार्यालय, चाईबासा तक पहुंच चुका था। वहां कमला इंटरप्राइजेज के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा था– **"20 फरवरी तक हर हाल में सभी मजदूरों का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा।"** लेकिन 20 फरवरी बीत गया। 21, 22 फरवरी बीत गया। और मजदूरों के हाथ आज भी खाली हैं। इसी धोखे से नाराज होकर मजदूरों ने 23 फरवरी से सड़क पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया।

150 परिवारों की रोजी–रोटी पर हमला: विजय–टू खदान बंद होने के बाद लगभग 150 मजदूर परिवार बेरोजगारी और आर्थिक संकट में फंस चुके हैं।

इन मजदूरों की हालत यह है कि बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहे, घर का राशन उधार में चल रहा है। इलाज तक कराना मुश्किल हो गया है।

एक मजदूर ने गुस्से में कहा – "हमने सालों तक खदान में काम किया। अब खदान बंद हुई तो हमें सड़क पर बैठने को मजबूर कर दिया गया।

क्या यही मजदूरों की कीमत है?"

मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं हुआ तो –★ खदान क्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन होगा, ★ जिला प्रशासन का घेराव किया जाएगा, ★ सड़क जाम और चक्का जाम तक आंदोलन जाएगा।

"हम भीख नहीं, मेहनत की कमाई मांग रहे हैं"

जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे।"

"अब नहीं तो कब ??"

"देश से रोजगार खत्म किया जा रहा, मजदूरों पर अन्याय किया जा रहा !!

अब आवाज नहीं उठाओगे तो कब ??
"मजदूरों का हक छीना जा रहा,
न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा !!
हक के लिए अब नहीं लड़ोगे तो कब ??
"मजदूरों पर अन्याय किया जा रहा,
कानून को खत्म किया जा रहा !!
अब संघर्ष नहीं करोगे तो कब ??
"सम्मानजनक वेतन भी नहीं दिया जा रहा,
मजदूरों का हक मारा जा रहा !!
हक के लिए अब नहीं लड़ोगे तो कब ??
"उद्योग के लिए मजदूरों को कुचला जा रहा,
हर काम को ठेका में दिया जा रहा !!
अब आवाज नहीं उठाओगे तो कब ??
"8 घंटे के काम को 12 घंटे करवाया जा रहा,
वेतन मात्र 3 घंटे का ही दिया जा रहा !!
अब नहीं बोलोगे या लड़ोगे तो कब ??
"मुद्दों से भटकाने के लिए फोड़ा जा रहा,
हम एक ना हों इसलिए लड़ाया जा रहा !!
साजिश को अब नहीं समझोगे तो कब ??
"सेंचुरी को फर्जी में बेचा जा रहा,
मजदूरों का हत्या किया जा रहा !!
आंदोलन अब नहीं करोगे तो कब ??
"सेंचुरी को दो–दो बार फर्जी में बेचा जा रहा,
लाखों परिवारों को उजाड़ा जा रहा!!
अब देश व मजदूर विरोधियों से नहीं लड़ोगे तो कब ??
"जहाँ अन्याय हो वहाँ लड़ना जरूरी,
हक के लिए रोज नारे लगाया जा रहा!!
नारे ही हक दिलायेगा यह जानोगे कब ??
"सेंचुरी के जीवित मजदूर,
हक लेने व अन्याय के खिलाफ रोज
नारे लगा रहे !!
आप अब तक नारे में नहीं गए तो जाओगे कब ??
"न्याय के लिए समय खिंचा जा रहा,
लेकिन हमारी जीत निश्चित है !!
इस बात को सबको बताओगे कब ??
"देश के पीड़ित मजदूरों उठो,
मजदूरों पर जुल्म किया जा रहा !!
अब संगठित नहीं होगे तो कब ??
"हर जुल्म पर, हर अन्याय में,
मिलकर लड़ेंगे,आवाज उठायेंगे तो !!
हमें जीत से रोकेगा कौन ??

साभार: मध्य प्रदेश के बिरला सेंचुरी मिल के वर्षों से संघर्षरत कपड़ा मजदूरों द्वारा जारी

10 मार्च को विश्व शांति के लिए सामाज्यवाद विरोधी युद्ध दिवस के रूप में मनाने का आह्वान

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय फेडरेशनों /एसोसिएशनों के संयुक्त मंच द्वारा आज 7 मार्च 2026 को प्रेस वक्तव्य जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय ट्रेड यूनियनें (सीटीयूएस) ईरान और विश्व के अन्य हिस्सों में चल रहे युद्ध को तत्काल रोकने की मांग करती हैं और सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा की आवश्यकता पर जोर देती हैं।

सीटीयूएस भारत सरकार से यह भी मांग करती हैं कि जीसीसी देशों में फैसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँ।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने ईरान पर अमेरिका–इजराइल की सैन्य आक्रामकता की कड़ी निंदा की है और पूरे भारत के लोगों से आह्वान किया है कि वे सड़कों पर उतरकर 10 मार्च 2026 को साम्राज्यवाद–विरोधी युद्ध दिवस और विश्व शांति दिवस के रूप में मनाएँ।

हम छात्रों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य सभी वर्गों से अपील करते हैं कि वे 10 मार्च को हमारे साथ जुड़े ताकि विनाशकारी युद्धों के खिलाफ लोगों को एकजुट किया जा सके और विश्व शांति की पुनर्स्थापना के लिए आवाज उठाई जा सके।

एकतरफा और अविवेकपूर्ण टैरिफ युद्ध के बाद अब ईरान पर एकतरफा बमबारी ने पूरे पश्चिम एशिया को युद्ध की स्थिति में धकेल दिया है और पूरी दुनिया को आर्थिक उथल–पुथल में डाल दिया है। नागरिक ढांचे, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और शहरी क्षेत्रों को निशाना बनाना अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून, विशेषकर जेनेवा कन्वेंशनों का उल्लंघन है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई सहित कई नेताओं की हत्या कर दी गई है। दक्षिण ईरान के मिनाब में एक लड़कियों के स्कूल पर लक्षित बमबारी में 165 से अधिक बच्चों की मौत इस क्रूरता और बर्बरता की पराकाष्ठा को दर्शाती है। दूसरी ओर ईरान द्वारा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर की जा रही जवाबी कार्रवाई से भी क्षेत्र में विनाश और नागरिकों की मौत हो रही है।

साम्राज्यवाद विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के गहरे और संरचनात्मक संकट से बाहर निकलने के प्रयास में अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना करते हुए दुनिया भर में युद्ध, सशस्त्र संघर्ष और प्रतिबंध थोप रहा है। युद्ध और सैन्यीकरण को सैन्य–औद्योगिक तंत्र को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण कायम रखने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ईरान के पास विश्व के प्रमाणित तेल भंडार का लगभग 9–10% और वैश्विक प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 17% हिस्सा है, जिससे वह विश्व का एक अत्यंत रणनीतिक ऊर्जा उत्पादक देश बन जाता है। पूरा पश्चिम एशिया मिलकर वैश्विक तेल उत्पादन का लगभग एक–तिहाई करता है और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन विश्व के लगभग 20% पेट्रोलियम उत्पादों का आवागमन होता है। इसलिए ईरान में किसी भी प्रकार की अस्थिरता सीधे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डालती है, जिसके प्रभाव पहले ही महसूस किए जा रहे हैं।

खाड़ी देश भारत के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमारे 55% कच्चे तेल का आयात वहीं से होता है। खाड़ी देश भारत से 60 लाख टन से अधिक बासमती चावल, भैंस का मांस, समुद्री उत्पाद, चीनी, ताजी सब्जियों और फल भी आयात करते हैं। ये निर्यात भारतीय किसानों और एम एस एम ई क्षेत्र के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 90 लाख से अधिक भारतीय नागरिक, जिनके 5 करोड़ से अधिक आश्रित हैं। खाड़ी देशों में काम करते हैं। उनकी सुरक्षा भी खतरे में है। सरकार को तुरंत घरेलू कामगारों, देखभाल कर्मियों, निर्माण मजदूरों और श्रम शिविरों में फंसे मजदूरों जैसे अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

हम अमेरिकी नौसेना द्वारा भारतीय महासागर में ईरानी जहाज IRIS Dena को निशाना बनाकर डुबोने की भी निंदा करते हैं। यह जहाज विशाखापत्तनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारत के अतिथि के रूप में शामिल होने आया था।

हमारी प्रमुख माँगे

★ सीटीयूएस ईरान और विश्व के अन्य हिस्सों में चल रहे युद्ध को तुरंत बंद करने और सभी देशों की संप्रभुता की रक्षा की मांग करती हैं।

★ हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वह भारत की पारंपरिक साम्राज्यवाद विरोधी नीति का पालन करते हुए देशों की संप्रभुता का सम्मान करे, ईरान पर युद्ध को तत्काल रोकने की पहल करे और विश्व शांति के लिए देशों को एकजुट करे।

★ हम भारत सरकार से यह भी मांग करते हैं कि जीसीसी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए तुरंत विशेष कदम उठाए जाएँ।

★ सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी श्रमिक बिना किसी बाधा के अपने परिवारों को धन भेज सकें और उनकी कमाई सुरक्षित रहे।

हम भारत के लोगों से आह्वान करते हैं कि वे सड़कों पर उतरकर 10 मार्च को साम्राज्यवाद विरोधी युद्ध दिवस और विश्व शांति दिवस के रूप में मनाएँ तथा विभिन्न स्तरों पर रैलियों, सभाएँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करें।

जारीकर्ता: इंटक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआइयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीफ, यूटीयूसी
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और क्षेत्रीय स्वतंत्र फेडरेशनों/एसोसिएशनों का मंच

12 फरवरी 2026 को जब देश के श्रमिक हड़ताल पर थे सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता में संशोधन किया विपक्ष ने इसे श्रमिक–विरोधी बताया

डॉ. ज्ञान पाठक

जब भारत के श्रमिक 12 फरवरी को आम हड़ताल पर थे और चार विवादास्पद श्रम संहिताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें वापस लेने की मांग कर रहे थे, तब केंद्र सरकार ने औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026 को संसद के दोनों सदनों में ध्वनि मत से पारित करवा लिया। यह 1 अप्रैल, 2026 से शुरू होने वाले अत्यधिक विवादास्पद औद्योगिक संबंधों का संकेत देता है, जिस दिन से चार विवादास्पद श्रम संहिताएं पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगी, जैसा कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं।

विपक्ष ने विधेयक का असफल विरोध किया और इसे "श्रम–विरोधी" करार दिया, जैसा कि उसने चार श्रम संहिताओं – मजदूरी संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020य और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020। औद्योगिक संबंध संहिता (संशोधन) विधेयक 2026, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में एक स्पष्टीकरणात्मक संशोधन है। इसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा 11 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत शामिल किए गए पुराने श्रम कानूनों के निरसन के संबंध में अस्पष्टता को दूर करना और स्पष्ट कानूनी निश्चितता प्रदान करना है। यह ध्यान देने योग्य है कि चारों संहिताएं भारतीय श्रम सम्मेलन (देश की श्रम संबंधी सर्वोच्च त्रिपक्षीय संस्था) और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बिना किसी चर्चा के जल्दबाजी में संसद में लाई गई, और इस प्रकार कई खामियों से ग्रस्त हैं। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में अस्पष्टता को दूर करना आवश्यक है क्योंकि मूल संहिता के तहत, कुछ श्रम कानून स्वतः निरस्त हो गए थे, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों और सरकार का मानना था कि भविष्य में अदालतों में चुनौतियों से बचने के लिए इसे स्पष्ट रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है। संसद में पारित होने के बाद से श्रम संहिताओं में यह पहला संशोधन है।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने तीन प्रमुख पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया: ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ये कानून तब निरस्त किए गए जब केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2025 में अधिसूचित किए जाने के बाद चार श्रम संहिताएं लागू हुईं।

अब संशोधन स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि ये पुराने अधिनियम संहिता के तहत अधिसूचित तिथि से निरस्त हो गए हैं। यह सुनिश्चित करता है कि निरसन स्वयं कानून द्वारा हुआ है, न कि कार्यपालिका के निर्देश के रूप में। यह पुराने कानूनों के तहत भी कार्यों और अधिकारों की निरंतरता बनाए रखने के लिए बचत प्रावधानों को भी मजबूत करता है।

विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 104 में मौजूदा शब्दों को ऐसे शब्दों से प्रतिस्थापित करता है जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि तीन पुराने श्रम अधिनियम वैधानिक परिणाम स्वरूप निरस्त हो गए हैं। पाठ में निरसन तिथि भी निर्दिष्ट है और इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि इसे संसद के बजाय कार्यपालिका ने लागू किया है। यह मुख्य रूप से एक स्पष्टीकरणात्मक परिवर्तन है, न कि कोई मौलिक परिवर्तन। कोई नए मौलिक अधिकार या कर्तव्य सृजित नहीं किए गए हैं, और यह केवल कानूनी निश्चितता को मजबूत करता है। इस कानून के पारित होने का श्रमिक संघों, व्यवसायों और नियोक्ताओं के साथ–साथ राजनीतिक और विपक्षी प्रतिक्रियाओं पर भी अलग–अलग प्रभाव पड़ेगा।

श्रमिकों और यूनियनों के लिए, यह संशोधन पुराने श्रम कानूनों की स्थिति और प्रयोज्यता को लेकर कानूनी विवादों की संभावना को कम करता है। यह पुष्टि करता है कि संक्रमणकालीन सुरक्षा, विवाद समाधान ढाँचे, यूनियन मान्यता आदि औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत आएंगे। हालांकि सरकारी अधिकारियों का तर्क है कि यह न्यूनतम मजदूरी और नियुक्ति पत्र जैसे श्रम सुरक्षा प्रावधानों के कार्यान्वयन का भी समर्थन करता है, हालांकि ये पहले से लागू श्रम संहिताओं की विशेषताएं हैं। व्यवसायों और नियोक्ताओं के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निरसन की व्याख्या को लेकर मुकदमेबाजी के जोखिम को कम करते हुए स्पष्ट कानूनी आधार प्रदान करता है। यह चार श्रम संहिताओं द्वारा प्रदान किए गए एकीकृत ढांचे को सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य अनुपालन और विनियमन को सरल बनाना है।

सत्ताधारी एनडीए के राजनीतिक दलों ने इस संशोधन को स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के लिए आवश्यक बताया है, हालांकि विपक्षी सांसदों ने इसकी आलोचना करते हुए इसे श्रमिक–विरोधी बताया है और तर्क दिया है कि व्यापक श्रम संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करती हैं।

विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर औद्योगिक संबंध संहिता तैयार करते समय श्रमिकों के बजाय उद्योगपतियों को तरजीह देने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, भाजपा और उसके सहयोगियों ने इन संहिताओं और संशोधन विधेयक का जोरदार बचाव करते हुए इसे श्रमशक्ति के कल्याण के लिए "ऐतिहासिक श्रम सुधार" बताया।

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में कहा कि ये चारों श्रम संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों को छीनने का एक तरीका हैं और सरकार ने कार्पोरेट जगत के साथ मिलकर श्रमिकों की नौकरी को खतरे में डालकर और काम के घंटे बढ़ाकर उनका गला घोंटने की साजिश रची है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस संशोधन से जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा रहा है, वह "नौकरी से निकालने में आसानी" को बढ़ावा देगा और "भर्ती में कोई आसानी नहीं होगी"। उन्होंने कहा कि हम छह साल पहले पारित कानून में पूर्वव्यापी संशोधन कर रहे हैं, जो सरकार की पूर्ण विफलता को दर्शाता है।

दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयू) ने औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और उसके बाद के संशोधन सहित सभी संहिताओं का कड़ा विरोध किया है, उन्हें "श्रमिक विरोधी" और "नियोक्ता समर्थक" करार दिया है। उन्होंने इन संहिताओं को वापस लेने की मांग की है, जिसके विरोध में उन्होंने संसद में पारित होने के बाद से अब तक 5 अखिल भारतीय आम हड़तालें आयोजित की हैं। सबसे बड़ी और सबसे तीव्र अखिल भारतीय हड़ताल 12 फरवरी को हुई थी। सीटीयू ने धमकी दी है कि अगर मोदी सरकार 1 अप्रैल, 2026 से संहिताओं को पूरी तरह से लागू करना शुरू करती है, तो वे कई दिनों की आम हड़ताल करेंगे। उन्होंने श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के खिलाफ अभूतपूर्व स्तर का विरोध करने की धमकी दी है।

एसकेएम द्वारा भारत–अमेरिका व्यापार समझौते एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के खिलाफ जीत तक देशव्यापी संयुक्त संघर्ष का ऐलान

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस बयान जारी कर कहा है कि 9 मार्च को जंतर–मंतर पर मजदूर – किसान संसद; 10 मार्च से 13 अप्रैल (जलियांवाला बाग दिवस) तक देशभर में महापंचायतें – शुरुआत बरनाला (पंजाब) से होगी और 23 मार्च को देशव्यापी साम्राज्यवाद–विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

एसकेएम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक ने निर्णय लिया है कि जब तक प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक स्वतंत्र संघर्षों के साथ–साथ मजदूरों के साथ संयुक्त संघर्षों को तेज किया जाएगा। प्रमुख मांगों में भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करना, बिजली बिल, बीज विधेयक, चार श्रम संहिताओं, ग्राम–जी अधिनियम का विरोध तथा एमएसपी/सी2+50% की कानूनी गारंटी, कर्जमाफी और 2013 के LARR अधिनियम के क्रियान्वयन जैसी लंबित मांगें शामिल हैं।

एसकेएम केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और कृषि मजदूर संगठनों के मंच के साथ समन्वय बैठकें करेगा और संयुक्त संघर्षों के अंतिम कार्यक्रम पर निर्णय लेगा।

एसकेएम 9 मार्च तक गांवों में जनसभाओं के माध्यम से संघर्ष को गांव–गांव तक ले जाएगा। इसमें भारत के राष्ट्रपति से वाणिज्य मंत्री पीयुष गोयल को बर्खास्त करने, प्रधानमंत्री को राष्ट्रविरोधी भारत–अमेरिका व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर न करने का निर्देश देने तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को गेहूं और धान किसानों के बोनस को समाप्त करने वाले डीओ पत्र को वापस लेने का निर्देश देने की मांग की जाएगी। किसान डाकघरों तक जुलूस निकालकर राष्ट्रपति को ऐसे खुले पत्र भेजेंगे। बैठक ने सेब, सोयाबीन, कपास, मक्का आदि प्रभावित फसलों की खेती करने वाले गांवों में विशेष अभियान चलाने का भी निर्णय लिया।

27 फरवरी या उसके बाद एसकेएम के प्रतिनिधिमंडल संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे। उनसे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध करने, राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा करने, संसद से जीएसटी अधिनियम में संशोधन कर राज्यों की कराधान शक्ति बहाल करने तथा विभाज्य कर पूल (सेस और अधिभार सहित) में राज्यों की हिस्सेदारी वर्तमान 33% के बजाय 60% करने की मांग की जाएगी।

बैठक ने निर्णय लिया कि संसद के अगले सत्र के पहले दिन, 9 मार्च को जंतर–मंतर पर ट्रेड यूनियनों और कृषि मजदूर संगठनों के मंच के साथ मिलकर मजदूर–किसान संसद आयोजित की जाएगी।

बैठक ने सभी राज्य समन्वय समितियों से आह्वान किया कि वे 10 मार्च से 13 अप्रैल (जलियांवाला बाग दिवस) तक देशभर में महापंचायतें आयोजित करें। इसकी शुरुआत पंजाब के बरनाला से होगी। इन महापंचायतों में हजारों किसान भाग लेंगे, भारत–अमेरिका व्यापार समझौते और मोदी सरकार की अन्य कॉर्पोरेट–समर्थक नीतियों के खतरों को समझाया जाएगा तथा भविष्य के लंबे संघर्ष की तैयारी की जाएगी।

23 मार्च शहीद दिवस को देशभर में साम्राज्यवाद–विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके विस्तृत कार्यक्रम राज्य स्तर पर तय किए जाएंगे।

बैठक ने पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलनों पर किए गए पुलिस दमन की कड़ी निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर–राजनीतिक) द्वारा भेजे गए पत्र पर चर्चा की गई और उनसे वार्ता के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस समिति में जोगिंदर सिंह उग्राहां, युधवीर सिंह, पी. कृष्णप्रसाद, रामिंदर सिंह पटियाला और बलदेव सिंह निहालगढ़ शामिल होंगे। एसकेएम और संबंधित मुद्दों पर किसानों की मांगों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति से मिलने के लिए 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

बैठक की अध्यक्षता सात सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की, जिसमें जोगिंदर सिंह उग्राहां, राकेश टिकैत, डॉ. अशोक धवले, आशीष मित्तल, जगमोहन सिंह, राजन क्षीरसागर और जोगिंदर सिंह नैन शामिल थे। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल सहित 9 राज्यों से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया। इंद्रजीत सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागियों ने कुरुक्षेत्र स्थित जाट धर्मशाला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

बरौनी एवं पानीपत के बाद सूरत में भी मजदूर विद्रोह
पुलिस ने लाठी चार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़ हालात पर काबू पाया
सूरत के हजीरा में पांच हजार श्रमिकों का बवाल, तोड़फोड़ व आगजनी

सूरत पानीपत रिफाइनरी में विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को हजीरा स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पोन स्टील (एएम/एनएस) प्लांट में कार्यरत लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के करीब पांच हजार कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों ने काम बंद कर दिया। वेतनवृद्धि और 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर उग्र हो गए एवं श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया।

सुबह 11 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन कुछ ही देर में हिंसक हो गया। उग्र भीड़ नै तीन फायर फाइटर वाहनों सहित कई गाड़ियों में भी कथित रूप से तोड़फोड़ की तथा चार बाइक में आग लगा दी। एंट्री–एग्जिट गेट के उपकरण भी क्षतिग्रस्त किए गए। स्थिति बेकाबू होने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प में डीसीपी शेफाली बरवाल सहित कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए। पुलिस ने किसी तरह से हालात पर काबू पाकर 25 से अधिक श्रमिकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है।

हरियाणा के पानीपत स्थित इंडियन ऑयल के रिफाइनरी विस्तार में लगे ठेकेदार लार्सन एंड टुब्रो तथा इंडियन ऑयल अडानी ग्रुप के ठेके में कार्यरत ठेका मजदूरों ने विद्रोह कर दिया था एवं सुरक्षा बल पर हमला भी किया था। होली के पूर्व हुए दूसरे विद्रोह की आग ठंडी भी नहीं हुई कि सूरत एवं अन्य जगहों पर विद्रोह जारी है।

भारत अमेरिका–इजराइल का एक 'जूनियर पार्टनर' बन रहा है?

भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से ईरान के खिलाफ किए गए हमले की निंदा करते हुए कोई स्पष्ट बयान जारी नहीं किया है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि ईरान गहरी सभ्यतागत समानताओं के साथ भारत का समय की कसौटी पर खरा उतरा मित्र रहा है। कोई किसी विशेष देश की राजनीतिक व्यवस्था से सहमत हो या न हो, लेकिन कोई भी ऐसे विदेशी आक्रमण को स्वीकार नहीं कर सकता जो किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हो। हाल के दिनों में, हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उन मानदंडों के प्रति बढ़ती उपेक्षा देखी है जो छोटे या बड़े सभी देशो ं के बीच सम्मान का आह्वान करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ अकारण किए गए हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। भारत सरकार का केवल चिंता व्यक्त करना स्वीकार्य नहीं है। यह दीर्घकालिक क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों वाली एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। यह आक्रामकता ऐसे समय में हुई जब संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच राजनयिक प्रयास चल रहे थे। ओमान सरकार के प्रतिनिधि ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि दोनों पक्ष एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। हालाँकि, ठीक अगले दिन, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए। कथित तौर पर पहले ही दिन, इजराइली सेना ने एक स्कूल में 150 से अधिक बच्चों की हत्या कर दी। इजराइल पर अक्सर बेहद क्रूर और अमानवीय कृत्य करने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह विशेष रूप से गाजा में युद्ध के दौरान स्पष्ट हो गया, जहां कथित तौर पर 70,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 20,000 से अधिक बच्चे शामिल थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका शांति वार्ता को लेकर कभी गंभीर नहीं था। उसने खुले तौर पर शासन परिवर्तन का आह्वान किया है और ईरान के लोगों से वर्तमान व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का आग्रह किया है। दूसरी ओर, इजराइल 'ग्रेटर इजराइल' के दावों को आगे बढ़ा रहा है और मध्य पूर्व में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। जवाब में, उसने इजराइल पर और क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के जमीनी और नौसैनिक ठिकानों पर मिसाइल हमले किए हैं, जिससे कथित तौर पर कई स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है।

इस आक्रामकता के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आक्रोश है, जिसे कई लोगों ने अवैध, अकारण और अनुचित बताया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह दावा कि ईरान से अमेरिका को खतरा है, और इजराइली प्रधानमंत्री द्वारा ईरान से इजराइल के अस्तित्व को खतरे के बारे में दिए गए इसी तरह के बयान, दुनिया भर के कई लोगों को आश्वस्त करने वाले नहीं लगते हैं। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है।

भारत इस क्षेत्र में शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। हालाँकि, कई पर्यवेक्षकों के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री की हालिया इजराइल यात्रा ने दुर्भाग्य से हमारे देश की विश्वसनीयता को कम किया है। एक समय भारत को विश्व में शांति का सच्चा पैरोकार माना जाता था। चूंकि यह हमला प्रधानमंत्री के इजराइल से लौटने के ठीक एक दिन बाद हुआ, इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें हमले की योजनाओं के बारे में पहले से जानकारी थी। वह भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है, और वह भी दो बार 2017 में और फिर 2026 में। किसी भी ऐसी योजना की पूर्व जानकारी के साथ इजराइल का दौरा करना मानवता के साथ विश्वासघात के समान होगा। दूसरी ओर, यदि वह इससे अनजान थे, तो यह भारतीय व्यवस्था की ओर से एक गंभीर विफलता को दर्शाता है जिसने मध्य पूर्व में बढ़े हुए तनाव के दौर में उन्हें इजराइल जाने की सलाह दी।

जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू को गल लगाया, वह उनके प्रति एक मजबूत व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिबद्धता का संकेत देता हुआ प्रतीत हुआ। अपने भाषण में, उन्होंने गाजा में 20,000 से अधिक बच्चों सहित 70,000 से अधिक लोगों की हत्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने संघर्ष के 'द्वि–राष्ट्र समाधान' का भी उल्लेख नहीं किया। इसके बजाय, रक्षा सौदों सहित एक बड़े व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के प्रयास किए गए। यह भी बताया गया है कि उन्होंने पेगासस के समान निगरानी सॉफ्टवेयर की मांग की, बिना इस बात पर पूरी तरह विचार किए कि ऐसी तकनीक संभावित रूप से विदेशी एजेंसियों को हमारे देश पर रणनीतिक बढ़त प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, कथित तौर पर भारत ने इजराइल में 50,000 श्रमिकों को भेजने पर सहमति व्यक्त की है, जो वहां पहले से कार्यरत फिलिस्तीनी श्रमिकों को विस्थापित कर सकता है।

ईरान के विदेश मंत्री ने समर्थन के लिए कई देशों से संपर्क किया, लेकिन भारत से नहीं। इस प्रक्रिया में, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ईरान के रूप में एक परखा हुआ मित्र खो दिया है जबकि बदले में हमें बहुत कम हासिल हुआ है। ऐसा तेजी से लगने लगा है कि वर्तमान भू–राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका–इजराइल रणनीति में भारत को एक 'जूनियर पार्टनर' के रूप में देखा जा रहा है जो हमारी विदेश नीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रतिबिंब है

म. प्र. एटक नेता संजय नामदेव की दुर्घटना, फिर भी हड़ताल में डटे रहे

8 फरवरी को युनियन ऑफिस बैठन से अपने घर बरगवां जाते समय रास्ते में टेलर से बचने के चक्कर में कामरेड संजय नामदेव मध्य प्रदेश उप–प्रांतीय महामंत्री एटक की गाड़ी पलट गई जिससे गाड़ी पुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कामरेड संजय नामदेव को भी चोटें आई हैं। गाड़ी स्वयं संजय नामदेव ही चला रहे थे। गाड़ी को शोरूम में बनने भेज दिया गया है 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब करने के लिए कामरेड संजय नामदेव घायल अवस्था में ही भिड़े रहे। युवा साथी कामरेड संजय नामदेव का यह जज्बा अनुकरणीय है कि घायल होने के बाद भी 12 फरवरी तक वे बिना विश्राम किये हड़ताल की सफलता में भिड़े रहे। संजय नामदेव के त्वरित स्वस्थ होने की कामना के साथ अभिनंदन करता हूँ।

मोदी शासन के एक दशक की विडंबना: सत्ता का केंद्रीकरण, याराना पूंजीवाद और जनतंत्र पर आघात

विद्यासागर गिरि

पिछले 10–12 वर्षों में देश की राजनीति और शासन–व्यवस्था में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वे केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि राज्य की प्रकृति और दिशा में एक व्यापक परिवर्तन का संकेत देते हैं। यह दौर एक ऐसे सत्तात्मक केंद्रीकरण का दौर बनता जा रहा है, जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता, संवैधानिक संतुलन और नागरिक स्वतंत्रताएँ निरंतर संकुचित होती प्रतीत होती हैं। सत्ता शीर्ष पर फासिज्म की प्रवृत्ति दिखती है।

संविधान ने भारत को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित किया था, जहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन और नियंत्रण लोकतंत्र की आत्मा माने गए। परंतु हाल के वर्षों में निर्णय–प्रक्रिया का अत्यधिक केंद्रीकरण, राज्यों के अधिकारों में कटौती, और संसद की भूमिका का सीमित होना एक चिंताजनक प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। यह अघोषित आपातकाल जैसा है।

महत्वपूर्ण विधेयकों को बिना विस्तृत चर्चा, संसदीय समितियों को भेजे बिना पारित करना, अध्यादेशों का अधिक उपयोग, और विपक्ष की आवाज़ को व्यवस्थित रूप से कमजोर करना–ये सब लोकतांत्रिक परंपराओं के क्षरण की ओर संकेत करते हैं। संसद, जो जन–इच्छा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति मानी जाती है, कई बार केवल औपचारिकता तक सिमटती दिखाई देती है। इस कालखंड की सबसे तीखी आलोचना "याराना पूंजीवाद" को लेकर होती रही है। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, और कुछ बड़े कॉर्पोरेट समूहों को असाधारण लाभ पहुँचाने के आरोप लगातार उठते रहे हैं। अडानी–अंबानी एवं मोदी शाह के याराना संबंध के बारे में कहा जा रहा है – "हम दो हमारे दो" यह याराना पराकाष्ठा पर है।

राष्ट्रीय संपत्तियों–हवाई अड्डों, बंदरगाहों, खदानों, ऊर्जा क्षेत्र और बैंकिंग तंत्र का हस्तांतरण सीमित निजी हाथों में केंद्रित होने से आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ी है। विश्व असमानता रिपोर्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में भी भारत में आय और संपत्ति के असमान वितरण की बढ़ती खाई रेखांकित की गई है।

यह प्रवृत्ति न केवल आर्थिक लोकतंत्र के लिए खतरा है, बल्कि श्रम अधिकारों के ह्रास और असंगठित क्षेत्र के विस्तार को भी तेज करती है। चार श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिक अधिकारों के छीन लेने और सामूहिक सौदेबाजी कमजोर होने की आशंका ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को व्यापक प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया है।

जन–ध्यान को मूल मुद्दों–बेरोजगारी, महँगाई, कृषि संकट, श्रमिक असुरक्षा से हटाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक उन्माद को राजनीतिक औजार के रूप में खुलेआम उपयोग किए जाने के आरोप भी व्यापक हैं।

घृणा–भाषण, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सामाजिक वातावरण का विषाक्त होना, इतिहास और शिक्षा का प्रतिगामी वैचारिक पुनर्लेखन – ये सब समाज में विभाजन को गहरा करते हैं। लोकतंत्र का आधार सामाजिक सद्भाव और बहुलता है, जब वही कमजोर होता है, तो लोकतांत्रिक ढाँचा भी अस्थिर हो जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाएँ–जैसे चुनाव आयोग, जाँच एजेंसियाँ, विश्वविद्यालय, मीडिया और यहाँ तक कि न्यायपालिका की स्वायत्तता पर भी प्रश्न उठ रहे हैं।

जाँच एजेंसियों का उपयोग विपक्षी नेताओं या असहमति की आवाज़ों के विरुद्ध किए जाने के आरोप, मीडिया के एक बड़े हिस्से का सत्ता–समर्थक रुख, और सत्ता का समर्पित प्रचारक बनने और विश्वविद्यालयों में वैचारिक हस्तक्षेप– ये सब एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जहाँ संस्थाएँ स्वतंत्र प्रहरी की बजाय नियंत्रित उपकरण के रूप में देखी जा रही है। जब नैतिक नेतृत्व की जगह शक्ति–प्रदर्शन और राजनीतिक प्रभुत्व केंद्र में आ जाए, तब लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होती है। संविधान की मूल भावना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के स्थान पर भय, आतंक, दहशत और विभाजन का वातावरण गहरा होता जा रहा है।

यूएपीए, देशद्रोह, और अन्य कठोर कानूनों के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और छात्र नेताओं की गिरफ्तारी ने नागरिक स्वतंत्रताओं पर बहस को तीव्र किया है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध, इंटरनेट बंदी, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अप्रत्यक्ष दबाव–ये सब लोकतांत्रिक अधिकारों के सीमित होने का संकेत देते हैं।

फिर भी, देश में प्रतिरोध की परंपरा जीवित है। किसान आंदोलन, श्रमिकों की देशव्यापी हड़तालें, छात्र आंदोलनों और नागरिक समाज के प्रयासों ने यह दिखाया है कि भारतीय समाज में लोकतांत्रिक चेतना अभी भी सशक्त है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है।

भारत का संविधान केवल एक विधिक दस्तावेज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की सामूहिक चेतना का परिणाम है। यदि शासन व्यवस्था में केंद्रीकरण, याराना पूंजीवाद और सामाजिक विभाजन की प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि नागरिक समाज, श्रमिक संगठन, किसान आंदोलन और लोकतांत्रिक शक्तियाँ मिलकर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करें। आज देश में मुख्य उत्पादक शक्ति मजदूर और किसान एक साथ संघर्ष का संयुक्त मंच बनाये हैं यह इस दिशा का स्वर्णिम पक्ष है।

लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित नहीं है, वह संस्थाओं की स्वायत्तता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता के सतत संरक्षण से जीवित रहता है।

आज की चुनौती केवल सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं, बल्कि उस व्यापक वैचारिक संघर्ष की है जो यह तय करेगा कि भारत एक समावेशी, बहुलतावादी और सामाजिक न्याय आधारित गणराज्य बना रहेगा या सत्ता–केंद्रित, विभाजित और असमान समाज की ओर बढ़ेगा।

इतिहास साक्षी है,जब–जब लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात हुआ है, जनता ने संगठित होकर उन्हें पुनर्स्थापित किया है। यही आशा और यही संघर्ष की दिशा आज भी प्रासंगिक है।

जंतर मंतर पर आयोजित मजदूर–किसान संसद का संयुक्त घोषणापत्र एवं उसके भावी संयुक्त संघर्ष की घोषणा देश के लिए शुभ संकेत है।

एआईफुक्टो का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न
'पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम' को बचाने का आह्वान

प्रो. अरुण कुमार, महासचिव एफुक्टो

अखिल भारतीय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक महासंघ (एआईफुक्टो) का 34वां वैधानिक राष्ट्रीय सम्मेलन गत 21, 22 और 23 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। यह तीन दिवसीय महाधिवेशन अमेरिकन कॉलेज, मदुरै (तमिलनाडु) के सुंदर एवं विशाल परिसर में आयोजित किया गया। इसका आयोजन तमिलनाडु में एआईफुक्टो से संबद्ध तीन शिक्षक संगठनों एमयूटीए, एयूटी और टीएनजीसीटीए की संयुक्त कार्य समिति (जेएसी) ने किया।

सम्मेलन के दौरान 'टुवर्ड्स साइंटिफिक, डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव हायर एजुकेशन इन इंडिया' (भारत में वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक और समावेशी उच्च शिक्षा की ओर) विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश के नामचीन विद्वान वक्ताओं ने विस्तार से अपने विचार रखे।

एफुक्टो के 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन के मंच पर एफूक्टो नेतृत्व का सामूहिक फोटो

सम्मेलन के प्रथम दिन उद्घाटन सत्र आयोजित हुआ। इस सत्र में विश्व शिक्षक महासंघ (एफआईएसई) और एजुकेशन इंटरनेशनल (ईआई) के अध्यक्ष, एआईफुक्टो के अध्यक्ष और महासचिव, मदुरै के डिप्टी मेयर, एआईफुक्टो के प्रो. बी. पार्थसारथी एवं आयोजन समिति के सभी प्रमुख सदस्य मौजूद थे।

सम्मेलन के उद्घाटन भाषण करते एफुक्टो के महासचिव प्रो. अरूण कुमार

दीप प्रज्वलन के बाद आयोजन समिति के सचिव ने अपने स्वागत भाषण में विभिन्न प्रांतों से पधारे प्रतिनिधियों, अतिथियों और सम्मेलन में भाग ले रहे शिक्षकों का स्वागत व अभिनंदन किया। शिक्षकों से खचाखच भरे सम्मेलन कक्ष में उद्घाटन भाषण एआईफुक्टो के महासचिव प्रो. अरुण कुमार ने दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी शिक्षा व्यवस्था, विशेषकर उच्च शिक्षा, घोर संकट का सामना कर रही है। उन्होंने आज के समय में अधिक एकजुटता की जरूरत को रेखांकित किया और आह्वान किया कि उच्च शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने तथा 'पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम' के संरक्षण के लिए सभी एकजुट हों।

विश्व शिक्षक महासंघ और एजुकेशन इंटरनेशनल के अध्यक्षों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और उनके कर्मियों पर हो रहे हमलों का जिक्र करते हुए ग्लोबल एकता का आह्वान किया तथा एआईफुक्टो के 34वें सम्मेलन का अभिनंदन किया।

उद्घाटन सत्र में ही करीब 300 पृष्ठों की एक रंगीन स्मारिका का लोकार्पण किया गया। इसमें अनेक विद्वानों और शिक्षकों के शिक्षा से संबंधित दर्जनों लेख प्रकाशित हैं। मदुरै के डिप्टी मेयर ने सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन किया। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और पदाधिकारियों को शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।

सत्र की अध्यक्षता एआईफुक्टो के अध्यक्ष प्रो. एम. नागराजन ने की। उन्होंने प्रतिनिधियों से खुलकर चर्चा करने और समस्याओं पर गंभीर विचार–विमर्श करने का आह्वान किया। 15 मिनट के टी–ब्रेक के बाद अगला सत्र प्रारंभ हुआ। सबसे पहले एआईफुक्टो महासचिव ने पूर्व अध्यक्ष स्व. प्रो. के. के. ठेकेदत्त के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया। सदन ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सेमिनार सत्र शुरू हुआ। इसमें 'की–नोट एड्रेस' के लिए आमंत्रित वक्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अर्थशास्त्री प्रो. अरुण कुमार थे। उन्होंने सेमिनार की थीम पर विस्तार से अपनी बात रखी और वैज्ञानिक, लोकतांत्रिक तथा समावेशी शिक्षा को देशहित के लिए आवश्यक बताया। दूसरे वक्ता फेडकुटा और जेएनयूटीए के अध्यक्ष प्रो. सुरजीत मजूमदार थे। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर चलाए जा रहे दमन चक्र की चर्चा की और नई शिक्षा नीति तथा 'विकसित भारत अधिष्ठान बिल–2025' की खामियों को उजागर करते हुए इसे देश के लिए खतरनाक करार दिया। भोजनावकाश के बाद, जनरल काउंसिल के समक्ष महासचिव प्रो. अरुण कुमार ने पिछले दो वर्षों की कार्य रिपोर्ट तथा राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इसे बहस के लिए रखा। दो दिनों तक इस रिपोर्ट पर विभिन्न राज्यों के करीब 60 प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में तमिलनाडु के शिक्षाविद् गजेंद्र बाबू तथा मूटा व एआईफुक्टो के पूर्व पदाधिकारी प्रो. स्वामीनाथन ने भी शिक्षकों से 'पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बचाने के लिए संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

तीसरे दिन, महासचिव की रिपोर्ट जरूरी संशोधनों के साथ तथा कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत 'ऑडिटेड' वित्तीय रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। इन दो दिनों में 'मूवमेंट रेजोल्यूशन' के साथ–साथ शिक्षकों की मांगों से संबंधित दर्जनों प्रस्ताव पारित किए गए।

शेष अगले पृष्ठ पर जारी

कामरेड (डॉ.) कर्ण सिंह जी को जनसमूह ने दी अंतिम विदाई

यमुनानगरः वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, एआईवाईएफ हरियाणा के पूर्व राज्य अध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी कामरेड तेलू राम जी के सुपुत्र, कामरेड (डॉ.) कर्ण सिंह जी का 21 फरवरी 2026 की सायं दुःखद निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे।

कामरेड (डॉ.) कर्ण सिंह जी ने चंडीगढ़ से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और छात्रों की जायज मांगों को लेकर संघर्ष करते हुए बडैल जेल भी गए। बाद के वर्षों में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पाटी के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वह हरियाणा के किसान अंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। वे अपने पिता, स्वतंत्रता सेनानी कामरेड तेलू राम जी के विचारों से गहराई से प्रभावित थे। इसी प्रेरणा से उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और पार्टी की विचारधारा को गहनता से पढ़ा–समझा। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता के चलते डाक्टर कर्ण सिंह चौहान सीपीआई की हरियाणा राज्य कौंसिल और पार्टी के राज्य कंट्रोल कमीशन के सदस्य रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जनसंघर्षों, लोकतांत्रिक अधिकारों और समाज परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया।

22 फरवरी 2026 को मुस्ताबाद रोड, कस्बा थाना छप्पर स्थित श्मशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के समय उनके पार्थिव शरीर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा डाला गया। इस अवसर पर निकली शव यात्रा में क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जन संगठनों तथा शुभचिंतकों ने भाग लिया और अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से धर्मपाल चौहान (राज्य कंट्रोल कमीशन चेयरमैन, भाकपा), डाक्टर खुशी राम पूर्व सरपंच छप्पर, गुरभजन सिंह मझैल (राज्य अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा), डाक्टर बलजीत सिंह, राम करण शर्मा, डाक्टर बंत सिंह, अरुण कुमार शक्करवाल एडवोकेट (जनरल सेक्रेटरी, बार एसोसिएशन बिलासपुर), नीरज चौहान एडवोकेट, मास्टर हरिचंद, राणा रणधीर सिंह, डॉ. रमेश शर्मा, सरदार गुरिंदर सिंह, सरदार सुमिंदर सिंह, राणा हरपाल सिंह, राणा शिव कुमार एडवोकेट, राणा सुरेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति परिवारजन एवं क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। उनके बड़े पुत्र रोहित चौहान ने मुखाग्नि दी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिला यमुनानगर एवं हरियाणा राज्य कमेटी ने कामरेड (डॉ.) कर्ण सिंह जी के निधन को पार्टी, एआईवाईएफ और जनआंदोलन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की हरियाणा राज्य कौसिल अपने प्रिय साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। एटक उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

कामरेड गार्गी चक्रवर्ती को शत् शत् नमन!

गार्गी दीदी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। वे पश्चिम बंगाल की एक प्रखर विद्यार्थी नेता थीं। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे और माता भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी थीं, इसलिए उन्होंने सत्य के साथ खड़े रहने के मूल्यों को आत्मसात किया। उन्होंने एआईएसएफ की कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और पदाधिकारी के रूप में भी कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक आंदोलन के दौरान भी उनकी सक्रियता जारी रही, जहां वे इतिहास की एक प्रतिष्ठित शिक्षिका थीं। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने कॉलेज में कुछ समय के लिए लैंगिक अध्ययन विभाग की प्रमुख भी रहीं।

उन्हें 1999 में और फिर 2002 में एनएफआईडब्ल्यू की राष्ट्रीय सचिव चुना गया। वे कुछ समय के लिए एनएफआईडब्ल्यू की कार्यकारी अध्यक्ष भी रहीं। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ केंद्र की सेवा की और एनएफआईडब्ल्यू के इतिहास को सामने लाने के लिए अथक प्रयास किए। उनका विवाह सुमित चक्रवर्ती से हुआ है, जो एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे और निखिल चक्रवर्ती (प्रसिद्ध पत्रकार थे और मेनस्ट्रीम के संस्थापक संपादक और रेणु चक्रवर्ती (सांसद और एनएफआईडब्ल्यू नेता) के पुत्र थे। उन्हें राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह का माहौल मिला।

पढ़ने और लिखने के शौकीन होने के कारण, उन्होंने कामरेड पी सी जोशी की जीवनी भी लिखी, जो उनके जीवन पर एक गहन शोध पर आधारित पुस्तक है। उन्हें समाज के सभी वर्गों के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की योद्धा, एक दृढ़ मानवाधिकार कार्यकर्ता और लैंगिक न्याय की प्रबल समर्थक के रूप में याद किया जाएगा।

हम उनके पुत्र सग्निक और उनकी पत्नी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके दुख में उनके साथ खड़े हैं।

गार्गी दीदी, हम आपको बहुत याद करेंगे।

कामरेड गार्गी चक्रवर्ती को लाल सलाम।

पिछले पृष्ठ का शेषः एफुक्टो का 34वां राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न

नए नेतृत्व का चुनाव इस सम्मेलन में नए नेतृत्व का चुनाव भी होना था। सर्वसम्मति से गठित तीन सदस्यीय चुनाव समिति (प्रो.सदानंद भट्टाचार्य, प्रो. ए. के. मोहंती और प्रो. घासीराम) के समक्ष नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। शाम तक नामांकन पूरे हो गए और पदों की तुलना में अधिक नामांकन होने के कारण चुनाव लगभग तय था। चुनाव समिति ने तीसरे दिन सुबह 10 बजे तक नाम वापस लेने का समय दिया। अंततः प्रतिनिधियों में सहमति बन गई।

सर्वसम्मति से केरल के प्रो. ए. निशांत को **अध्यक्ष,** बिहार के प्रो. अरुण कुमार को **महासचिव** और उत्तर प्रदेश के प्रो. मौजपाल सिंह को **कोषाध्यक्ष** निर्वाचित घोषित किया गया। इसके साथ ही 15 उपाध्यक्ष, 7 राष्ट्रीय सचिव और 10 क्षेत्रीय सचिव भी चुने गए। 21 और 22 फरवरी की शाम को छात्र–छात्राओं ने संगीत और नृत्य के माध्यम से स्थानीय संस्कृति की मनमोहक झांकी प्रस्तुत कर सबका दिल जीत लिया। प्रतिनिधियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्वादिष्ट भोजन और आतिथ्य सत्कार से सभी बेहद खुश थे। इस अधिवेशन में 26 राज्यों के करीब 1500 शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंत में 'वैलिडेटरी' (समापन) सत्र शुरू हुआ। सभी पूर्व पदाधिकारियों और सहयोगियों को सम्मानित कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह हुआ। राष्ट्रगान और 'शिक्षक एकता जिंदाबाद, एआईफुक्टो जिंदाबाद, हमारा संयुक्त संघर्ष जिंदाबाद' के गगनभेदी नारों के साथ सम्मेलन का सफल समापन हुआ।

कॉमरेड आर. नल्लाकन्नू को लाल सलाम!

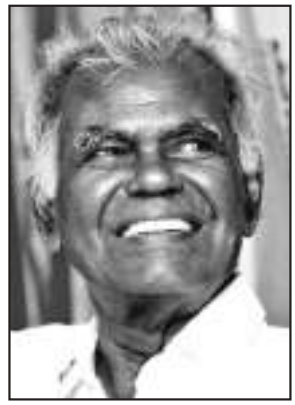

अमरजीत कौर ने एआईटीयूसी राष्ट्रीय सचिवालय की ओर से जारी संदेश में कहा कि "देश के सबसे वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, स्वतंत्रता सेनानी कॉमरेड आर. नल्लाकन्नू, जिन्होंने सभी न्यायसंगत मुद्दों, मानवाधिकारों और सभी के सम्मान के लिए संघर्ष किया, का 25 फरवरी 2026 को निधन हो गया। उनके निधन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम और कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में एक युग का अंत हो गया।"

"कॉमरेड आर. नल्लाकन्नू का जन्म 26 दिसंबर 1925 को वर्तमान तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के तिरुवैकुंठम में हुआ था। वे एक साधारण कृषि परिवार से थे। बचपन से ही उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता पर सवाल उठाए।" वे कम उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश शासन और सामंती शोषण के खिलाफ जन संघर्षों में जुट गए। उन्होंने दमन का सामना किया और चौदह वर्ष से अधिक की जेल की सजा भुगती। कोई भी ताकत उनके दृढ़ विश्वास को तोड़ नहीं सकी।

कॉमरेड नल्लाकन्नू एक अथक संगठनकर्ता और समर्पित समाज सुधारक थे, जिन्होंने श्रमिकों, किसानों, कृषि श्रमिकों और समाज के सभी शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता, तर्कवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन किया और उनके लिए काम किया। उन्होंने सीपीआई तमिलनाडु राज्य परिषद के सचिव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और सीपीआई के केंद्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

कॉमरेड नल्लाकन्नू को उनकी सादगी, ईमानदारी और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए सर्वत्र सम्मान प्राप्त था। उन्होंने संयम और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया। उन्हें सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सुधार और तमिलनाडु की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विचारधारा में उनके अपार योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें थगैसल तमिलर (विशिष्ट तमिल) पुरस्कार भी शामिल है, जो न्याय, सुधार और समाज के उत्थान के लिए समर्पित जीवन की मान्यता है।

कॉमरेड आर. नल्लाकन्नू का विवाह रंजीथम अम्माल से हुआ था, जो एक शिक्षिका थीं और स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पद से सेवानिवृत्त हुईं। उनके परिवार में उनकी दो बेटियां हैं। उनका जीवन आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रमिक वर्ग और समाज के अन्य दलित वर्गों के लिए संघर्ष करने वाले कॉमरेड नल्लाकन्नू को उन सभी लोगों द्वारा आदर दिया जाता था जो सर्वाधिकार के लिए खड़े थे।

हम कॉमरेड नल्लाकन्नू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और मानवतावादी कार्यों के लिए उनके समर्पित मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।

एटक भारत के महान सपूत, कॉमरेड नल्लाकन्नू को लाल सलामी देता है, जिन्होंने जीवन भर स्वतंत्रता, समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया।

कॉमरेड नल्लाकन्नू को लाल सलाम!

कॉमरेड वाहिदा निजाम के पति को श्रद्धांजलि

एटक की राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड वाहिदा निजाम के पति मु.गुलाम निजामुद्दीन जिलानी का कैंसर से बहादुरी से लड़ते हुए 6 मार्च 2026 को असमय मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। इस गहरे दुख की घड़ी में एटक हमारी नेशनल सेक्रेटरी कॉमरेड वाहिदा निजाम और उनकी पूरे दुखी परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हैं। जीवनसाथी का जाना एक ऐसा खालीपन है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, और हम सिर्फ सोच सकते हैं कि परिवार किस दर्द और दुख से गुजर रहा होगा। हम उनके दुख में शामिल हैं और इस मुश्किल समय में साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनके जीवन, प्यार और साथ की यादें आने वाले दिनों में परिवार को ताकत और सुकून देंगी।

एटक उनके निधन पर संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी गहरी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करता हैं।

शैलेन्द्र शैली की पत्नी कल्पना शैली जी के निधन पर श्रद्धांजलि

मध्य प्रदेश के भाकपा सचिव और साहित्यकर्मी कामरेड शैलेंद्र शैली जी की धर्मपत्नी कल्पना शैली जी की दुखद निधन की खबर मर्माहत करने वाली है। उनकी धर्मपत्नी कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से जूझ रही थी। इलाज क्रम में ही अचानक कल 7 मार्च को कल्पना जी की निधन की खबर से व्यक्तिगत रूप से मर्माहत हूँ और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं। कामरेड शैली और उनके परिजनों को इस असह्य पीड़ा को सहने की शक्ति मिले इसी कामना के साथ पुनः दिवंगत व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि!

कामरेड सीडी यादव खेतड़ी तांबा श्रमिक संघ नेता नहीं रहे!

खेतड़ी ताम्बा श्रमिक संघ के जुझारू पदाधिकारी एवं राजस्थान एटक के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य साथी सीडी यादव जी आकस्मिक निधन का समाचार सुन कर गहरा दुख हुआ। इस वक्त जब सरकारों द्वारा मजदूर आंदोलन पर बर्बर हमले किये जा रहे हैं तब साथी सीडी यादव जैसे बहादुर साथी का हमें छोड़ कर चले जाना न केवल एटक बल्कि पूरे मजदूर आंदोलन के लिए क्षति है। उनके आसामयिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों के प्रति एकजुटता एवं संवेदना व्यक्त करता हूँ। **कुणाल रावत, महासचिव एटक राजस्थान**

तथा रूस–यूक्रेन युद्ध के पीछे भी अमेरिका ही है। अमेरिकी साम्राज्यवाद दुनिया की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 की घोषणा से यह साफ है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद पूरी दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहता है, भले ही इसके लिए सैन्य हमले ही क्यों न करने पड़ें। वेनेजुएला तथा ईरान, दोनों पर ही हमले के द्वारा अमेरिका तेल के संसाधनों तथा उसके माध्यम से विश्व के ऊर्जा स्रोतों पर कब्जा करना चाहता है। भारत में भी टैरिफ बढ़ाकर, अपमानजनक ट्रेड डील कर, वीजा अवधि पूरी होने के बाद रह रहे भारतीयों को बेड़ियों में बांधकर भारत वापस भेजकर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत–पाकिस्तान सीजफायर कराने का दावा कर के अमेरिका लगातार भारत का आर्थिक नुकसान व अपमान कर रहा है। यहां तक कि वह भारत की संप्रभुता का अपमान कर उसे यह भी बता रहा है कि भारत तेल कहां से खरीदे। भारत सरकार ने अपनी घोषित नीति के विपरीत न केवल अंतरराष्ट्रीय मामलों में, बल्कि खुद भारत के मामलों में भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करते हुए शर्मनाक चुप्पी ओढ़ रखी है। इस जघन्य हमले की निंदा करने के बजाय उन्होंने दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी है।

वामदलों ने भारत में शहीद–ए–आजम भगत सिंह की साम्राज्यवाद–विरोधी परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हुए साम्राज्यवाद और युद्ध के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ रहे लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। प्रदर्शन में भाकपा जिला मंत्री नसीम अंसारी, माकपा जिला मंत्री अखिल विकल्प, भाकपा–माले जिला सचिव सुनील मौर्य, आनंद मालवीय, विकास स्वरूप, मनीष, फरमान रजा, गायत्री गांगुली, भानु, समर सिंह, रिया, शशांक, शीतला, अक्षत, राधा, मुस्तकीम, शाहिद, सीमा, गणेश, अरविंद, आर्यन, अंकित, प्रदीप आदि लोग उपस्थित रहे।

पटना: एआईएसएफ ने किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के विरोध में एआईएसएफ ने प्रदर्शन कर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन किया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) की बिहार राज्य परिषद के आह्वान पर पटना के आयकर गोलंबर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप की साम्राज्यवादी नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप का पुतला दहन करते हुए अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय दादागिरी तथा ईरान पर अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले की कड़ी निंदा की।

एआईएसएफ ने घोषणा की कि यह विरोध अभियान राज्यभर में जारी रहेगा तथा अन्य छात्र एवं युवा संगठनों से भी इस लोकतांत्रिक प्रतिरोध में शामिल होने का आह्वान किया। साथ ही खुशबू कुमारी तथा पटना विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष पद के पूर्व उम्मीदवार सैय्यद जैद अहमद सहित अन्य साथियों ने भी भाग लिया।

देश के विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों में लगातार इजराइली–अमेरिका गठजोड़ के इस अमानवीय हमलों एवं युद्ध के खिलाफ विरोध किये जा रहे हैं वामदलों ने 2 मार्च को राष्ट्रव्यापी विरोध किया वहीं संयुक्त किसान मोर्चा एवं केंद्रीय श्रम संगठनों ने 10 मार्च को देशव्यापी साम्राज्यवाद विरोध दिवस आयोजन कर तत्काल ईरान पर हमला रोकने एवं अमेरिकी साम्राज्यवाद दादागिरि बंद करने, युद्ध नहीं शांति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार का सम्मान करने और विश्वमें युद्ध की उत्पन्न हो रही स्थिति को तत्काल बंद करने की मांग की गई।

सेल भिलाई स्टील प्लांट की संयुक्त यूनियन ने मंगलवार शाम को साम्राज्यवाद–विरोधी–युद्ध दिवस मनाया

कोलकाता में वामपंथी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संयुक्त मंच द्वारा ईरान पर अमेरिका–इजराइल युद्ध के विरोध में प्रदर्शन किया गया।

घोषणा

फार्म–4 (नियम 8 देखें)

1.	प्रकाशन स्थान	: नई दिल्ली
2.	प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
3.	मुद्रक का नाम	: डोलफिन प्रिंटों ग्राफिक्स 487–483/8 ओबरॉय कम्पाउंड, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने, दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली –95
	क्या भारत के नागरिक हैं (यदि विदेशी है, तो मूल देश?)	: हां
4.	प्रकाशक का नाम	: अमरजीत कौर
	क्या भारत के नागरिक हैं (यदि विदेशी है, तो मूल देश?)	: हां
	पता	: 35/36, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली – 110002
5.	सम्पादक का नाम	: विद्यासागर गिरि
	क्या भारत के नागरिक हैं (यदि विदेशी है, तो मूल देश?)	: हां
7.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हो	: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 35/36, डीडीयू मार्ग, नई दिल्ली 110002

मैं, अमरजीत कौर एतत् द्वारा घोषित करती हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिये गये विवरण सत्य हैं।

अमरजीत कौर

दिनांक: 01.03.2026 — प्रकाशक का हस्ताक्षर

पंजीयन संख्या 62693/95 दिल्ली डाक पंजीयन संख्या DL(C)–01/1349/2024–26
ट्रेड यूनियन रिकार्ड मुद्रित एवं प्रकाशित 1–15 मार्च, 2026 12 मार्च, 2026 एलपीसीए दिल्ली आरएमएसए दिल्ली–06 में पोस्टिंग दिनांक 14–15 मार्च, 2026

ईरान पर अमेरिका–इजराइल हमले के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और दिल्ली राज्य के वामपंथी दलों द्वारा ईरान की जनता पर अमेरिकी साम्राज्यवादी और जायोनी इजराइल के हमलों के खिलाफ एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन को भाकपा की राष्ट्रीय सचिव अमरजीत कौर, भाकपा दिल्ली राज्य परिषद के सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रो. दिनेश वार्ष्णेय, माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात, माकपा दिल्ली राज्य के सचिव अनुराग सक्सेना,

एटक महासचिव अमरजीत कौर सभा को संबोधित करती हुई

भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, आरएसपी के सचिव आर. एस. डागर, एसयूसीआई के सचिव प्राण शर्मा, सीजीपीआई के बिरजू नायक और भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने संबोधित किया।

संबोधन के दौरान भाकपा सचिव व एटक महासचिव अमरजीत कौर ने ईरान के खिलाफ मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर संप्रभु राष्ट्र ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के खिलाफ है। एक संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख की हत्या अमेरिका और इजराइल द्वारा की गई एक सोची–समझी हत्या है। यह हमला तुरंत रुकना चाहिए। यह ईरान के प्राकृतिक संसाधनों, उसके समुद्र और उसके तेल भंडार पर कब्जा करने का एक प्रयास है। अमेरिका ने इराक पर हमला करते समय भी यही बहाना बनाया था। ईरान पर हुए इस हमले में स्कूल की 180 से अधिक छात्राओं की हत्या कर दी गई है। अमेरिकी साम्राज्यवादी और जायोनी इजराइल के ईरान पर हमलों से पूरे भूमध्यसागरीय क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया है। विश्व की शांति खतरे में है।

उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत की केंद्र सरकार की भी निंदा की और कहा कि मोदी जी का सऊदी राजकुमार और इजराइल के राष्ट्रपति को

10 मार्च को केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर उत्तरी दिल्ली जिला संयुक्त ट्रेड यूनियनों के द्वारा ऑल इंडिया संयुक्त ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज जी टी रोड जहांगीरपुरी में साम्राज्यवादी विरोधी दिवस मनाया गया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व एटक दिल्ली राज्य कमिटी के सचिव कॉमरेड संजीव कुमार राणा, सीटू से हरपाल त्यागी, अनिल कुमार, एआईयूटीयूसी से मैनेजर चौरसिया आदि ने किया।

फोन कर सहानुभूति दिखाना भारत की उन विदेश नीतियों के अनुरूप नहीं है जिसे सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया है। उन्हें तुरंत अमेरिकी और इजराइली हमले की आलोचना करनी चाहिए। युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति बहाल होनी चाहिए।

इलाहाबाद: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मो) तथा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के संयुक्त तत्वावधान में वामदलों ने 1 मार्च 2026 को बालसन स्थित गांधी प्रतिमा पर अमेरिका–इजराइल द्वारा ईरान पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। वामदलों ने कहा कि हमारा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लंबे संघर्षों और अनेक कुर्बानियों के बाद

यूपी के इलाहाबाद में युद्ध विरोधी प्रदर्शन

आजाद हुआ है। इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही हमारा देश राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है और साम्राज्यवाद का विरोध करता है। अमेरिका इस समय सबसे बड़ा साम्राज्यवादी और जंगखोर देश है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन कर जहां अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति मादुरो का अपहरण कर लिया था, वहीं 28 फरवरी को उसने ईरान पर हमला कर निर्दोष छात्र–छात्राओं समेत वहां के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सपत्निक, उसके परिवार के सदस्यों और रक्षा मंत्री अमीर नासिरजादेह सहित 40 सैन्य कमांडर एवं नेताओं की हत्या कर दी।

वामदलों ने कहा कि इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी जनता का जारी नरसंहार

शेष पृष्ठ 23 पर जारी

प्रकाशक एवं मुद्रक अमरजीत कौर द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 35/36, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली 110002, दूरभाष: 23217320/23220264, E.mail: aituchq@gmail.com के लिए डोलफिन प्रिंटों ग्राफिक्स 487–483/8 ओबरॉय कम्पाउंड, दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने, दिलशाद गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली–95 में मुद्रित एवं आंकलन सॉफ्टवेयर द्वारा कम्पोज, फोन: 23382815, E.mail:aanklan.office@gmail.com
संपादक: विद्यासागर गिरि, फोन: 9431744445, 7903225528 E.mail:vsgiribokaro@gmail.com